दृष्टि The Vision

# एडिटोरियल

## (संग्रह)

## नवंबर भाग-1, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

# अनुक्रम


**संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम** **5**

- कुपोषण से निपटने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप 5
- मीडिया विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 8

**आर्थिक घटनाक्रम** **11**

- उपकर विवाद और कैग की रिपोर्ट 11
- COVID-19 महामारी और आर्थिक सुधार की संभावनाएँ 13
- कृषि सुधार और किसानों के हितों की रक्षा 16
- भारतीय विद्युत क्षेत्र: चुनौतियाँ और समधान 19

**अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम** **22**

- क्वाड समूह और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका 22
- भारत की नीतियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का प्रभाव 24

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** **28**

- डीप फेक और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ 28


**नोट :**

दृष्टि The Vision

## पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 32


- अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और पेरिस समझौते का भविष्य 32
- प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताएँ 35


दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

# संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

## कुपोषण से निपटने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप

### संदर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organization -FAO) की स्थापना की 75वीं वर्षगाँठ पर आयोजित एक समारोह में देश को 8 फसलों की 17 बायो-फोर्टिफाइड (Bio-Fortified) प्रजातियाँ समर्पित कीं। गौरतलब है कि 16 अक्तूबर, 1944 को रोम (इटली) में विश्व के 44 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर FAO की स्थापना की और इस बैठक के दौरान विश्व में पोषण के स्तर को बढ़ाने, खाद्य तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने की बात कही गई। पिछले कुछ दशकों में भारत में संवर्द्धित बीजों और नवीन तकनीकों तक किसानों की पहुँच में सुधार के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। हालाँकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की इस होड़ के दौरान देश में खाद्य पदार्थों में पोषक तत्त्वों के स्तर में सुधार के मुद्दे पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका है। 21वीं शताब्दी में भी विश्व के विभिन्न हिस्सों के साथ भारत में एक बड़ी आबादी के बीच पोषक तत्त्वों की कमी आज भी गंभीर समस्या बनी हुई है।

### पोषक तत्त्वों की कमी का संकट:

- वर्तमान में विश्व के निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों (Low and Middle-Income Countries- LMICs) में लगभग 2 बिलियन महिलाओं और बच्चों में विटामिन ए, आयरन और जिंक की भारी कमी देखी गई जो एक बड़े संकट की ओर संकेत करता है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के तहत भारत को विश्व के उन 88 देशों की सूची में रखा गया था, जिनके वर्ष 2025 तक 'वैश्विक पोषण लक्ष्यों' (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 37.9% बच्चों में वृद्धिरोध या बौनापन और 20.8% में दुबलेपन के मामले देखे गए हैं, जबकि एशिया में यह औसत क्रमशः 22.7% और 9.4% है।
- इस रिपोर्ट में भारत को नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन तीन सबसे खराब देशों की सूची में रखा गया है, जहाँ वृद्धिरोध के मामलों में सबसे अधिक असमानता देखी गई, इन देशों में विभिन्न समुदायों के बीच वृद्धिरोध के स्तर का अंतर लगभग चार गुना था।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 [Global Hunger Index (GHI), 2020] में भारत को विश्व के 107 देशों में 97वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत क्षेत्र के अन्य देशों जैसे- श्रीलंका (64वें), नेपाल (73वें), पाकिस्तान (88वें), बांग्लादेश (75वें), इंडोनेशिया (70वें) आदि से भी पीछे है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2018 में भारत को 103वें स्थान पर रखा गया था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 14 प्रतिशत आबादी 'अल्पपोषित' (Undernourishment) है और देश में 'बाल मृत्यु' (Child Mortality) दर को 3.7% बताया गया है।

### खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO):

- खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है।
- इसकी स्थापना 16 अक्तूबर, 1945 को की गई थी।
- FAO की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण और जीवन स्तर को उन्नत बनाने तथा कृषि उत्पादकता में सुधार करना था।
- इसका मुख्यालय रोम (Rome), इटली में स्थित है।
- वर्तमान में भारत सहित विश्व के 194 देश इस संगठन के सक्रिय सदस्य हैं।

नोट :

**प्रभाव:**

- पोषक तत्त्वों से युक्त भोजन की कमी लोगों को गंभीर बीमारियों के प्रति सुभेद्य बनाती है, इसके कारण मृत्यु दर के आँकड़ों में भी वृद्धि होती है।
- शरीर में पोषक तत्त्वों का अभाव संज्ञानात्मक क्षमता में कमी को बढ़ाता है।
- किसी भी देश में स्वस्थ, शिक्षित और कुशल आबादी मानव संसाधन के रूप में उस देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है परंतु देश में अस्वस्थ और कुपोषित लोगों की आबादी उस पर एक भार बन जाती है तथा इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के रूप में देखने को मिलता है।
- देश में महिलाओं में कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में प्रच्छन्न भुखमरी (Hidden Hunger) से प्रभावित सबसे अधिक महिलाएँ और बच्चे दक्षिण एशिया (विशेषकर भारत) में रहते हैं।
    - प्रच्छन्न भुखमरी से आशय विटामिन और खनिजों की कमी से है। प्रच्छन्न भुखमरी तब होती है जब लोगों द्वारा सेवन किये जाने वाले आहार की गुणवत्ता उनकी पोषक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, अर्थात् भोजन में उन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे-विटामिन और खनिजों की कमी पी जाती है जो कि उनकी वृद्धि और विकास के लिये आवश्यक हैं।

**कारण:**

- गुणवत्तापूर्ण आहार की कमी: देश की एक बड़ी आबादी में विटामिन और अन्य महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी का सबसे प्रमुख कारण गुणवत्तापूर्ण आहार का अभाव है। देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सब्जियाँ, फल, दालें और पशु उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
- महँगाई: गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में प्रचलित प्रमुख आहार जैसे-गेहूँ, चावल और मकई आदि की तुलना में सब्जी, फल, दाल तथा पशु उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है जिसके कारण सभी लोगों के लिये नियमित रूप से इनका सेवन करना संभव नहीं हो पाता है।
- कृषि क्षेत्र में विविधता का अभाव: स्वतंत्रता के बाद से देश में कृषि उत्पादन में लगभग पाँच गुना वृद्धि (वर्ष 2018-19 में 281 मिलियन टन) हुई है, हालाँकि इस दौरान पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है।
- इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत में गेहूँ और चावल जैसी प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। जिसकी वजह से अन्य पारंपरिक फसलों, फल व सब्जियों के उत्पादन और खपत में भारी गिरावट आई है।
- गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले FAO की स्थापना के समय भी नीति निर्धारकों द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार से पहले मानव पोषण में सुधार के मुद्दे को अधिक प्राथमिकता दी गई। हालाँकि भारत में इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई।
- पलायन : भारत में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि के बीच कई राज्यों में जनसंख्या की तुलना में आवश्यक संसाधनों का विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण ऐसे राज्यों की एक बड़ी आबादी को अपनी आजीविका के लिये देश के दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। रोज़गार की अनिश्चितता और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों के लिये पोषक तत्त्वों की कमी के मामलों में वृद्धि होती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर देखने को मिलता है।
- शिक्षा और जागरूकता: भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में (विशेषकर महिलाओं में) खाद्य पदार्थों में पोषक तत्त्वों की भूमिका और स्वास्थ्य पर इनके प्रभावों के प्रति जागरूकता का अभाव इस संकट का एक प्रमुख कारण है।
- 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार भारत में प्रजनन योग्य आयु की दो में से एक महिला में एनीमिया के मामले देखे गए हैं। कुपोषित महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों को कुपोषण के साथ-साथ कई अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- योजनाओं का क्रियान्वयन: भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही देश में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिये कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई, हालाँकि वर्तमान में भी देश में इन समस्याओं से जुड़े मामलों के आँकड़े योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी कमी की ओर संकेत करते हैं।

नोट :

## समाधान:

### पोषक तत्त्वों के घनत्व में सुधार:

- देश में भोजन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अनाज (जैसे-गेहूँ, चावल आदि) या फूड स्टेपल्स (Food Staples) आवश्यक खनिज या विटामिन का घनत्त्व बहुत अधिक नहीं होता है, ऐसे में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में पौष्टिक घटकों के घनत्व को बढ़ाने और अवांछनीय यौगिकों के घनत्व को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा आठ बायो-फोर्टीफाइड फसलों को बढ़ावा देने की पहल सराहनीय है।

फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक लागत प्रभावी, टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। इसके तहत चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने के लिये इनमें पहले से उपलब्ध पोषक तत्त्वों (लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन A एवं D जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन) के स्तर में वृद्धि की जाती है।

- इन फसलों को खाद्य-आधारित कल्याण कार्यक्रमों [जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन, आँगनवाड़ियों और राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) आदि] से जोड़ा जाना चाहिये, जिससे एक बड़ी आबादी तक इनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
  - गौरतलब है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program- WFP) भारत सरकार द्वारा देश में 'फोर्टिफाइड चावल' के उत्पादन पर कार्य किया जा रहा है।
  - इस पहल के तहत दिसंबर 2018 से 4,145 टन 'फोर्टिफाइड चावल' का उत्पादन किया गया है और इसे वाराणसी में एक पायलट योजना के तहत 3 लाख स्कूली बच्चों में वितरित किया गया।
  - राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत देश को वर्ष 2022 तक कुपोषण से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया।

### उर्वरक का चुनाव:

- नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्रधान खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, खनिज और विटामिन के घनत्व को बढ़ाते हैं, उर्वरकों में जिंक और आयोडीन के उचित मिश्रण से अनाज में भी जिंक और आयोडीन के घनत्व में वृद्धि की जा सकती है।

### खाद्य विविधता:

- लोगों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उनके दैनिक भोजन में शामिल खाद्य पदार्थों में विविधता लाना और इसे वहनीय बनाना बहुत ही आवश्यक है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1970 में 'ऑपरेशन फ्लड' की शुरुआत के बाद देश में दुग्ध उत्पादन और इसकी खपत में भारी वृद्धि देखी गई थी।
- वर्तमान समय में देश में सब्जियों, दालों और फलों के उत्पादन तथा खपत को बढ़ाने के लिये इसी प्रकार की एक पहल को शुरू किया जाना बहुत आवश्यक है।
- हाल ही में सरकार द्वारा कृषि अधिनियमों में किये गए सुधार इस क्षेत्र में एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला के विकास का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

### आगे की राह:

- देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि क्षेत्र की अधिकांश नीतियाँ मुख्य रूप से कृषि उपज में वृद्धि करने पर केंद्रित रही हैं परंतु कृषि के माध्यम से पोषण में सुधार के प्रयासों के बड़े आर्थिक और दूरगामी लाभ हो सकते हैं।
- सरकार को कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिये बहु-पक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना होगा जिसमें खाद्य विविधता, उपज की गुणवत्ता में सुधार, कृषि उपज के विपणन और खाद्य पदार्थों के वितरण हेतु मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना, शिशु और मातृत्व कल्याण योजनाओं का विकास आदि शामिल हैं।
- इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसरों के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायतों की भूमिका में सुधार, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता, कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि आदि पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

नोट :

# मीडिया विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

## संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन न्यूज़, समसामयिकी, मनोरंजन से जुड़े ऑडियो-वीडियो जैसे 'ओवर द टॉप' (Over The Top- OTT) प्लेटफॉर्म को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का आदेश दिया है। सरकार के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म की पहुँच में तेज़ी से हो रही वृद्धि के बीच इस पर निगरानी रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार के कदम की आलोचना की है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद मीडिया के उस वर्ग को भी सरकार की निगरानी के दायरे में कर दिया जाएगा, जो कम-से-कम अब तक आधिकारिक रूप से स्वयं को सरकारी हस्तक्षेप से बाहर बताता रहा था। वर्तमान में जब विश्व के अन्य कई देशों के साथ भारत में भी कलाकारों और मीडियाकर्मियों पर हमलों या राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी वैचारिक स्वतंत्रता को दबाने के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है, तो ऐसे समय में सरकार द्वारा OTT प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का यह कदम कई प्रश्न खड़े करता है।

## पृष्ठभूमि:

- सरकार के इस निर्णय के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इंटरनेट पर उपलब्ध गैर-विनियमित ऑनलाइन मल्टीमीडिया के एक बड़े समूह पर निगरानी का अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसमें ऑनलाइन समाचार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फिल्म, वेब सीरीज़ आदि शामिल हैं।
- इस आदेश से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंटेंट सरकार द्वारा स्थापित सभी विनियमन प्रणालियों से बाहर थे।
- वर्तमान में देश में मनोरंजन और समाचार प्रदाताओं के लिये स्वायत्त, सरकारी और स्व-नियामकीय निकायों की एक मिश्रित व्यवस्था (संबंधित प्लेटफॉर्म के आधार पर) लागू है।
- गौरतलब है कि देश में निर्मित फिल्मों का विनियमन 'चलचित्र अधिनियम, 1952' (Cinematograph Act, 1952) के तहत किया जाता है।
- वहीं टेलिविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की निगरानी 'केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' के तहत सुनिश्चित की जाती है।
- इसी प्रकार समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण द्वारा टेलिविज़न समाचारों को विनियमित किया जाता है।
  - समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो समाचार चैनलों के प्रसारण के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करता है।
- जबकि अखबारों और प्रिंट मीडिया के मामले में निगरानी और विनियम का कार्य भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India-PCI) द्वारा किया जाता है जो कि एक सांविधिक विधिक निकाय है।
- इसके अतिरिक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास टेलिविज़न चैनलों द्वारा 'केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' के तहत निर्धारित प्रोग्रामिंग और विज्ञापन कोड के उल्लंघन के मामलों में उन्हें दंडित करने का प्रावधान है, इसके लिये शिकायतें सीधे मंत्रालय को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर के आंतरिक तंत्र के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

## ओटीटी प्लेटफॉर्म:

ओटीटी (OTT) सेवाओं से आशय ऐसे एप या सेवाओं से जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। OTT शब्द का प्रयोग आमतौर पर वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन ऑडियोस्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट-आधारित वॉयस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है।

## ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समाचारों के विनियमन के पूर्व प्रयास :

- सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म के विनियमन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा था।
- अक्तूबर 2019 में सरकार ने नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिये एक 'नकारात्मक' (सेवा प्रदाताओं द्वारा जिन कार्यों को नहीं किया जाना चाहिये) सूची जारी करने का संकेत दिया था।
- सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े सेवा प्रदाताओं से 'समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण' की तरह ही एक स्व-नियामक निकाय स्थापित करने की इच्छा भी व्यक्त की थी।

- जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं ने एक स्व-नियामक संहिता पर हस्ताक्षर किये थे, इसके तहत इन प्लेटफॉर्मों पर मीडिया सामग्री के प्रसारण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया। इस संहिता के तहत पाँच प्रकार की मीडिया सामग्री के प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया।
  1. ऐसी मीडिया सामग्री जो जान-बूझकर और दुर्भावना से राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करती है।
  2. कोई भी दृश्य या कथानक जो बाल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है।
  3. कोई भी मीडिया सामग्री जो "दुर्भावनापूर्वक" धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का प्रयास करती है।
  4. कोई भी मीडिया सामग्री जो "जान-बूझकर या दुर्भावनापूर्वक" आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है।
  5. कोई भी मीडिया सामग्री जिसे कानून या न्यायालय द्वारा प्रदर्शन या वितरण के लिये प्रतिबंधित किया गया है।
- नवंबर 2019 में सरकार द्वारा 'प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक' का एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य 150 वर्ष पुराने 'प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867' को प्रतिस्थापित करना था।
- यह पहला मौका था जब सरकार ने प्रिंट पब्लिकेशन के समान ही ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म को निगरानी के दायरे में लाने का प्रयास किया, इस मसौदे में डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध समाचारों को 'डिजिटल स्वरूप के ऐसे समाचार के रूप में परिभाषित किया गया जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है' और इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो तथा ग्राफिक्स शामिल हैं।
- गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से देश में दूरसंचार कंपनियों द्वारा निशुल्क वॉइस और मैसेजिंग सेवा देने वाले OTT प्लेटफॉर्मों के विनियमन की मांग की जा रही है।

## ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समाचारों के विनियमन हेतु प्रस्तावित प्रणाली:

- वर्तमान में सरकार द्वारा इस आदेश के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समाचार के विनियमन के लिये अपनाई जाने वाली प्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- हालाँकि ऐसा अनुमान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन समाचार के विनियमन हेतु नियमों के निर्धारण के लिये सरकार द्वारा टीवी प्रसारण के विनियमन हेतु प्रयोग किये जाने वाले प्रोग्राम कोड को एक आधार के रूप में लिया जा सकता है।
- वर्तमान में वर्ष 2008 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर को टीवी पर प्रसारित सामग्रियों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

## विनियमन का कारण:

- हाल के वर्षों में देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुँच में व्यापक वृद्धि (वर्ष 2019 में 17 करोड़ उपयोगकर्त्ता) हुई है और COVID-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद रहने के दौरान इसका व्यापार कई गुना बढ़ा है।
- किसी विनियमन या निगरानी प्रणाली के अभाव में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील या आपत्तिजनक सामग्री को बहुत ही कम समय में एक बड़ी आबादी (कम उम्र के बच्चों सहित) तक आसानी से प्रसारित किया जा सकता है।
- पिछले एक वर्ष में उच्चतम न्यायालय के साथ देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अविनियमित सामग्री के विरूद्ध कई मामले दर्ज किये गए हैं।
- अक्तूबर 2020 में उच्चतम न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के संदर्भ में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (IAMAI) से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म को छोड़कर देश में सक्रिय अन्य सभी मीडिया तंत्रों के विनियमन हेतु प्रणालियाँ पहले से स्थापित की जा चुकी हैं।

## विरोध और चिंताएँ:

- वर्तमान में देश में सक्रिय OTT प्लेटफॉर्म 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' के दायरे में आते हैं।
- ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर न्यायालय अथवा सरकारी एजेंसी से इस संदर्भ में निर्देश जारी कर उसे हटाने के लिये कहा जा सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा OTT प्लेटफॉर्मों पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के निर्णय से कई चिंताएँ उठने लगी हैं।

नोट :

- उच्चतम न्यायालय में एक टीवी चैनल पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के मामले में सरकार द्वारा दायर हलफनामे में न्यायालय से मुख्यधारा के टीवी चैनलों से पहले डिजिटल मीडिया के विनियमन पर विचार की मांग की गई। इस हलफनामे से स्पष्ट है कि सरकार OTT प्लेटफॉर्म और वेब न्यूज़ पोर्टल के मामले में अधिक चिंतित दिखाई देती है, जो सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाता है।
- विरोधकर्त्ताओं के अनुसार, सरकार द्वारा डिज़िटल मीडिया, टीवी और प्रिंट समाचार प्रदाताओं के बीच काल्पनिक विभाजन कर उनमें फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और भारतीय प्रेस की तुलना केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय से नहीं की जानी चाहिये। साथ ही कई स्वायत्त निकायों के तहत संचालित समाचार प्रसारकों की स्वतंत्रता को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं।
- OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रण का प्रयास भारतीय संविधान में प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ माना जा सकता है।
- प्रसारकों द्वारा OTT प्लेटफॉर्म के स्व-विनियमन के प्रस्ताव को सरकार ने अपर्याप्त/असंतोषजनक बताते हुए अस्वीकार कर दिया था, जबकि इसमें व्याप्त कमियों को रेखांकित कर सरकार द्वारा अन्य अपेक्षित सुधारों के साथ इसे लागू किया जा सकता था।

## चुनौतियाँ:

- देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की पहुँच में वृद्धि से छोटे प्रसारकों और स्वतंत्र पत्रकारों को लोगों से जुड़ने का एक मज़बूत माध्यम प्राप्त हुआ है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में हैं ऐसे में सरकार द्वारा अत्यधिक सख्ती के कारण इन प्लेटफॉर्मों (विशेषकर इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा में शामिल भारतीय प्रसारक) का विकास प्रभावित हो सकता है।
- 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders) द्वारा जारी 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020' में भारत को 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर रखा गया था, गौरतलब है की हाल के वर्षों में इस सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है (2016 में 133वें, 2017 में 136वें, 2018 में 138वें और 2019 में 140वें)। ऐसे में सरकार द्वारा मीडिया को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करने का कोई भी कदम मीडिया स्वतंत्रता के लिये चिंता का कारण बन सकता है।

## आगे की राह:

- मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, देश की स्वतंत्रता से लेकर आज़ाद भारत में लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में मिडिया की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है। हालाँकि वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूप में तेज़ी से हो रहे बदलाव के बीच इसके कार्यों में पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्त्व की स्पष्टता का होना बहुत ही आवश्यक है।
- OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मीडिया पर सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की बजाय स्व-विनियमन की प्रणाली को मज़बूत किया जाना चाहिये। साथ ही मीडिया के संदर्भ में अलग-अलग निकायों के मापदंडों के बीच व्याप्त अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- गलत सूचनाओं या दुष्प्रचार से बचने के लिये प्रसारकों और मीडियाकर्मियों को सरकार के साथ मिलकर इसके विरुद्ध कड़े कानूनी प्रावधान बनाने पर कार्य करना चाहिये।

नोट :

# आर्थिक घटनाक्रम

## उपकर विवाद और कैग की रिपोर्ट

### संदर्भ:

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मज़बूती के लिये उसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और परस्पर विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। भारत जैसी संघीय व्यवस्था में इन मूल्यों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। हालाँकि पिछले कुछ समय से राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार पर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप और केंद्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जाता रहा है। इसी प्रकार पिछले दिनों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग (CAG) द्वारा संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुए उपकर का लगभग 40% हिस्सा संबंधित उद्देश्य के निर्धारित कोष में हस्तांतरित करने के स्थान पर भारत की संचित निधि (CFI) में ही रहने दिया गया।

### कैग की रिपोर्ट:

- कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार को 35 अलग-अलग सेस/लेवी आदि से कुल 2.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
- कैग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मात्र 1.64 लाख करोड़ रुपए ही निर्धारित मद या कोष में हस्तांतरित किये गए, जबकि शेष राशि को भारत की संचित निधि में ही रख लिया गया।
- गौरतलब है कि वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी (GST) लागू होने के बाद 17 उपकरों को इसमें समाहित कर दिया गया था, जबकि 35 उपकर अभी भी सक्रिय हैं।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार को उपकर के रूप में प्राप्त हुए 2.75 लाख करोड़ रुपए में 95,081 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) का हिस्सा था।
- कैग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इन उपकरों को उनके निर्धारित कोष की बजाय CFI में हस्तांतरित कर न सिर्फ राजकोषीय घाटे को कम दिखाया गया बल्कि वित्त मंत्रालय द्वारा इन उपकरों के लिये निर्धारित कोष की स्थापना/संचालन की विफलता से यह सुनिश्चित करना भी कठिन हो जाता है कि इन उपकरों का उपयोग संसद द्वारा निर्धारित उद्देश्य के लिये हो रहा है या नहीं।

### उपकर ( Cess ):

- केंद्र सरकार को करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), अधिभार (Surcharge), शुल्क, उपकर, लेवी आदि के माध्यम से राजस्व जुटाने का अधिकार है।
- उपकर या सेस करदाता द्वारा अदा किये जाने वाले मूल कर (Tax) पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है।
- उपकर मुख्यत: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिये फंड एकत्रित करने हेतु लागू किया जाता है।
- उपकर सरकार के लिये राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता है, निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है ।
- गौरतलब है कि उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-270 के तहत उपकर को उन करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool of Taxes) के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है।
  - विभाज्य पूल (Divisible Pool) सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue- GTR) का वह भाग होता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच बाँटा जाता है। विभाज्य पूल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिये लागू अधिभारों और उपकरों को छोड़कर सभी करों तथा निवल संग्रहण प्रभार से मिलकर बनता है।

नोट :

## कर और उपकर में अंतर:

- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी सहित) ऐसे कर हैं जहाँ इनके माध्यम से प्राप्त राजस्व को सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के किसी भी कार्य के लिये अलग-अलग तरीके से खर्च किया जा सकता है, वहीं उपकर एक विशेष उद्देश्य के लिये लागू होता है और उसी के लिये खर्च किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार को केंद्रीय करों से प्राप्त होने वाले राजस्व को राज्य सरकारों के साथ साझा करना अनिवार्य है, जबकि उपकर के मामले में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है।

## भारत में लागू उपकरों का इतिहास:

- वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1944 से लेकर अब तक सरकार द्वारा 42 अलग-अलग उपकर लगाए जा चुके हैं।
- स्वतंत्रता के पश्चात् लागू हुए उपकर शुरुआत में किसी विशेष उद्योग के विकास से संबंधित थे, उदाहरण के लिये वर्ष 1953 में लागू नमक और चाय उपकर। इसके बाद अधिकांश उपकर श्रम कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेरित थे। उदाहरण के लिये वर्ष 1961 में लौह अयस्क खदान श्रम कल्याण उपकर तथा वर्ष 1972 का चूना पत्थर और डोलोमाइट खदान श्रम कल्याण उपकर आदि।
- वर्ष 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद अधिकांश उपकरों को समाप्त कर दिया गया, अगस्त 2018 तक देश में मात्र 8 उपकर लागू थे।

## जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) :

- जीएसटी प्रणाली में शामिल होने के बाद राज्यों की स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गई, जिससे राज्यों की आय में भारी गिरावट देखने को मिली है।
- इस चुनौती को दूर करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017' को लागू किया गया और इसके तहत राज्यों को अगले पाँच वर्षों (वर्ष 2017-22) तक जीएसटी के कारण उनके राजस्व में हुई कमी की भरपाई का आश्वासन दिया गया।
- इसके तहत राजस्व की क्षति की गणना आधार वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015-16) से 14% वार्षिक वृद्धि दर के अनुरूप राजस्व का अनुमान लगाते हुए प्राप्त राशि और उस वर्ष के जीएसटी के संग्रह में अंतर के आधार पर की जाती है।

## उपकर से जुड़े अन्य मुद्दे:

- कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उपकर से जुड़ी कई अन्य अनियमितताएँ सामने आई हैं।
- उदाहरण के लिये पिछले 10 वर्षों में कच्चे तेल पर उपकर के रूप में एकत्र किये गए 1.25 लाख करोड़ रुपए में से कोई राशि 'तेल उद्योग विकास बोर्ड' को नहीं दी गई।
- इसी प्रकार पेट्रोल और डीज़ल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में एकत्र किये जाने वाले भारी उपकर के कुछ हिस्से को सड़क और अवसंरचना विकास पर खर्च करने के स्थान पर CFI में ही रहने दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा सड़क उपकर के रूप में प्राप्त 38,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में नहीं जमा किये गए।
- स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये लागू किये गए 4% उपकर का कुछ हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया परंतु इसके प्रस्ताव के अनुरूप स्वास्थ्य के लिये किसी भी कोष की स्थापना नहीं की गई।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में उपकर की हिस्सेदारी 6.88% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11.88% तक पहुँच गई।

## चुनौतियाँ:

- उपकर एक संवेदनशील विषय है और यह देश की अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसीलिये उपकर को किसी विशेष उद्देश्य और एक निर्धारित अवधि (जैसे जीएसटी प्रतिपूर्ति कर के संदर्भ में 5 वर्ष) के लिये लागू किया जाता है।
- परंतु हाल के वर्षों में नए उपकर के मामलों में काफी वृद्धि देखने को मिली है, उदाहरण के लिये अगस्त 2018 में देश में मात्र 8 उपकर लागू थे जिनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है, इसके साथ ही कई मामलों में धन का आवंटन मूल उद्देश्य की बजाय उससे जुड़े हुए मुद्दों के आधार पर किया जाता है।

नोट :

- उपकर भारत की संचित निधि का हिस्सा न होकर लोक लेखा निधि का हिस्सा होते हैं और एक ट्रस्टी के रूप में सरकार का यह उत्तरदायित्त्व है कि वह उपकर के रूप में प्राप्त राजस्व को उसके निर्दिष्ट कोष में हस्तांतरित करे परंतु ऐसा न करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम दिखाया गया, जो देश की जीडीपी के लगभग 1.2% के बराबर था।
- संविधान के 80वें संशोधन के तहत उपकर और अधिभारों से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य नहीं है। साथ ही वित्त आयोगों (Finance Commission) का गठन पाँच वर्ष में एक ही बार किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान उपकर और अधिभार के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जबकि कई वित्तीय आयोगों ने इसके प्रतिकूल प्रभावों की चेतावनी दी है।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा करों की अधिकांश वृद्धि उपकर और अधिभार के माध्यम से ही की गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2000-01 में केंद्रीय सकल करों में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी मात्र 3% (लगभग) थी जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16.5% तक पहुँच गई और वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसके 20% तक पहुँचने का अनुमान है।
- हालाँकि इस दौरान केंद्र के कुल कर में राज्यों की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है, उदाहरण के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र द्वारा एकत्रित कुल कर में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 35% थी जो वर्ष 2019-20 में घटकर 32% रह गई और एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह 30% से भी कम हो सकती है।
    - गौरतलब है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के राजस्व में एक बड़ी वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से होने का अनुमान है।

### आगे की राह:

- सीमा निर्धारण: पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के कुल राजस्व में उपकर के अनुपात में लगातार वृद्धि और कुल राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में कमी केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संतुलन को प्रभावित करता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपकरों के अनुपात और किसी उपकर की अधिकतम अवधि के संदर्भ में एक सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिये।
- उपकरों को लागू करने का लक्ष्य किसी प्राथमिकता वाले विषय के लिये वित्तीय प्रबंधन के साथ उसके भुगतान के प्रति लोगों में उत्तरदायित्त्व की भावना उत्पन्न करना है, परंतु एक साथ 35 उपकरों के होने से उनमें प्राथमिकता का निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी समस्या हो सकती है ऐसे में इसे सीमित किया जाना बहुत आवश्यक है।
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: उपकरों के निर्धारण और उनके हस्तांतरण में व्याप्त अनियमितता कर तंत्र को कमज़ोर करने के साथ राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। ऐसे में उपकरों के प्रबंधन में सरकार को अधिक पारदर्शिता लानी चाहिये।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय से संबंधित मामलों में उपकर नहीं लगाया जाना चाहिये।
- वित्त आयोग द्वारा उपकरों को को लागू करने और उनके आवंटन की सामयिक समीक्षा हेतु सुझाव प्रस्तुत करने चाहिये।

## COVID-19 महामारी और आर्थिक सुधार की संभावनाएँ

### संदर्भ:

COVID-19 महामारी के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र गिरावट देखी गई, इस महामारी ने औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों (आपूर्ति शृंखला, मानव संसाधन आदि) को गंभीर रूप से प्रभावित किया और इसके साथ ही दैनिक खपत में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इन चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार और इसे पुन: गति प्रदान करने को लेकर चिंताएँ बनी हुई थीं। हालाँकि देश में COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के हटने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र सुधार के संकेत और अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह सुधार विनिर्माण, कोल, स्टील आदि प्रमुख क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। हालाँकि सेवा क्षेत्र के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में यह सुधार उतना प्रभावी नहीं रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने के लिये कुछ बड़े सुधारों की आवश्यकता होगी।

### पृष्ठभूमि:

- COVID-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये भारत में 25 मार्च, 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई थी।
- लॉकडाउन के कारण लोगों की आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने से आने वाले महीनों में विश्व के अन्य देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने की मिली।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई।
- इसी प्रकार वर्ष 2020 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 39.3% और खनन क्षेत्र में 23.3% की गिरावट तथा व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में 47% की भारी गिरावट देखी गई।

### कारण:

- औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट: COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण देश में औद्योगिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिला। कृषि को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट के साथ ही विद्युत की खपत में भारी कमी देखने को मिली, गौरतलब है कि मार्च (-8.7%), अप्रैल (-23.2%), मई (-14.9%) और जून (-10.9%) में विद्युत खपत में आई कमी देश में औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट का स्पष्ट आँकड़ा प्रस्तुत करती है।
- बेरोज़गारी में वृद्धि: लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने से शहरी रोज़गार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी की दर अप्रैल माह में 23.52% और मई माह में 21.73% दर्ज की गई।
- राजस्व में गिरावट: मार्च माह में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार के राजस्व में भारी गिरावट देखी गई। ध्यातव्य है कि मार्च माह में सरकार को जीएसटी के रूप में प्राप्त कुल कर राजस्व 97,597 करोड़ रुपए रहा, जबकि यह अप्रैल और मई माह में घटकर क्रमश: 32,000 करोड़ रुपए तथा 62,000 करोड़ रुपए (लगभग) तक पहुँच गया।
- राजस्व में हुई गिरावट के कारण सरकार के लिये औद्योगिक उत्पादन और खपत में हो रही गिरावट को कम करने के लिये बाहरी समर्थन प्रदान करना एक बड़ी चुनौती बन गया।

### सरकार के प्रयास:

- केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, इसके तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जारी करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
- COVID-19 के करण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 27 मार्च को बैंक ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के अस्थायी स्थगन की घोषणा की थी, इस अवधि को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया।
- केंद्र सरकार द्वारा COVID-19 के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता को बनाए रखने के लिये मनरेगा ('महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम') के बजट परिव्यय में 65% की वृद्धि की गई, इसके साथ ही सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान (PM KISAN) योजना' और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' आदि के माध्यम से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई।
- इसके साथ औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016' में संशोधन करते हुए IBC की प्रक्रिया शुरू करने हेतु डिफाल्ट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

### आर्थिक सुधार के संकेत:

- आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, अक्तूबर 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' (Purchasing Manager's Index- PMI) में पिछले एक दशक में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।

- फरवरी माह के बाद पहली बार ऑटोमोबाइल कंपनियों ने वाहनों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की है और कोर उद्योगों के उत्पादन में भी सुधार देखने को मिला है।
- सितंबर माह में कोर उद्योगों के उत्पादन में मात्र 0.8% की गिरावट देखने को मिली, जो कि अगस्त माह की 7.3% और अप्रैल की 40% गिरावट से काफी कम है।
- सितंबर माह में कोयला, विद्युत और इस्पात के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2020 में 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) संग्रहण 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा , जो कि फरवरी 2020 के इस वर्ष में संगृहीत किया गया सबसे अधिक कर राजस्व है।
  - गौरतलब है कि अक्तूबर 2020 में जीएसटी के रूप में एकत्र किया गया कुल कर राजस्व अक्तूबर 2019 में एकत्र किये गए कुल राजस्व से 10% अधिक है।
- इसी प्रकार अक्तूबर माह में घरेलू मांग में वृद्धि हुई है, जो अर्थव्यवस्था के लिये एक सकारात्मक संकेत है उदाहरण के लिये अक्तूबर माह में माइक्रोवेव (+70%) , वाशिंग मशीन (+15%) और रेफ्रिजरेटर (+10%) जैसे घरेलू उपकरणों की बिक्री में वृद्धि देखने को मिली है।
- विद्युत खपत के मामले में सितंबर (+1.8%) माह से ही सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली जो अक्तूबर में +13.38% तक पहुँच गई और अगस्त माह के बाद ई-वे बिल (जो अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति को दर्शाता है) में भी सुधार देखने को मिला है।

### चुनौतियाँ:

- हाल के दिनों में कई क्षेत्रों से आर्थिक सुधार के संकेत मिलने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर आर्थिक सुधार आने वाले दिनों में खपत, निवेश और निर्यात में वृद्धि पर ही निर्भर करेगा।
- अक्तूबर माह में देश के निर्यात में 5.4% की गिरावट देखी गई, जबकि अप्रैल-अक्तूबर के दौरान इस क्षेत्र में 19% की गिरावट और इसी अवधि के दौरान देश के आयात में 11.6% की गिरावट दर्ज की गई ।
- देश के निर्यात में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम' (MSME) क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण (वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 48.10%) है परंतु पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में वित्तीय तरलता और मानव संसाधन की कमी के साथ मांग में हुई गिरावट से स्थितियाँ और अधिक चिंताजनक हो गई हैं।
  - गौरतलब है कि हाल के कुछ वर्षों में निर्यात क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जून 2020 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण और जीडीपी का अनुपात 19.5% रहा जबकि जून 2018 में यह 29% था। ऐसे में इस चुनौती से निपटने में निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत ही सीमित रहेगी।
- पिछले कुछ वर्षों से देश का बैंकिंग क्षेत्र भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था परंतु COVID-19 महामारी से उत्पन्न हुई वित्तीय चुनौतियों के कारण NPA के मामलों में वृद्धि से यह समस्या और भी जटिल हो गई है।
- सरकार द्वारा लागू मौद्रिक नीतियों से वित्तीय तरलता की चुनौतियों को कम करने और बैंक ऋण में सुधार लाने में भले ही सफलता प्राप्त हुई हो परंतु बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त जोखिम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

### समाधान:

- देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में खपत और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण होगी।
- इस महामारी से सीख लेते हुए सरकार को स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
- COVID-19 महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में सबसे कम गिरावट देखने को मिली हालाँकि इस क्षेत्र में रोज़गार और आय में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये जिससे इसका पूरा लाभ उठाया जा सके, सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) की स्थापना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- COVID-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की क्षति को कम करने के लिये खपत-निवेश चक्र को जल्द-जल्द से जल गति प्रदान करना बहुत ही आवश्यक होगा।

- साथ ही सार्वजनिक खपत और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से निजी क्षेत्र के निवेश को भी बढ़ाया जा सकता है।
- सरकार को असंगठित क्षेत्र और MSME (विशेषकर सूक्ष्म श्रेणी) से जुड़े उद्योगों की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिये विशेष तथा लक्षित योजनाओं की शुरुआत पर विचार करना चाहिये।
- वर्तमान में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच विश्व के विभिन्न हिस्सों में COVID-19 के मामलों में वृद्धि के आँकड़े एक बड़ी चिंता का कारण है परंतु सरकार को इस 'नई सामान्य स्थिति' (New Normal) में विकास के नए अवसर उत्पन्न करने होंगे।

### निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी के दौरान आपूर्ति शृंखलाओ के बाधित होने, श्रमिकों के पलायन और वित्तीय तरलता की चुनौतियों के साथ इसके किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव में उत्पन्न हुई अनिश्चितता से अन्य सभी क्षेत्रों के साथ आर्थिक क्षेत्र को अभूतपूर्व क्षति हुई है।देश के अधिकांश हिस्सों से लॉकडाउन के हटने के बाद पिछले कुछ महीनों में स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है। हालाँकि देश की अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने के लिये सरकार को सर्वाजनिक निवेश के साथ स्थानीय आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने, वित्तीय तरलता को बनाए रखने तथा सार्वजनिक खपत को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

## कृषि सुधार और किसानों के हितों की रक्षा

### संदर्भ:

भारत में कृषि आदि काल से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग रही है। हालाँकि जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि जोत का आकार छोटा हुआ है और इस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक विधियों की पहुँच में कमी के कारण कृषि आय में भारी गिरावट हुई है। पिछले कई वर्षों से सरकारों ने किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया है, परंतु इनमें से अधिकांश असफल ही रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये जून 2020 में कृषि सुधार से जुड़े तीन अध्यादेश जारी किये गए तथा इन्हें वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिये सितंबर 2020 में संसद में इससे संबधित तीन विधेयक प्रस्तुत किये गए जिन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। सरकार द्वारा इन अधिनियमों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की बात कही गई, हालाँकि इन विधेयकों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और कुछ राज्यों (जैसे-पंजाब और राजस्थान) में इसके प्रभावों को सीमित करने के लिये विधानसभा में विधेयक भी प्रस्तुत किये गए हैं।

### कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु लागू अधिनियम:

- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020।

### प्रस्तावित सुधार:

- 'किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020' के अंतर्गत राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाज़ारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक व्यापार तथा कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
    - इस अधिनियम के तहत कृषि उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके तहत किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति से निपटने हेतु अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है।
- केंद्र सरकार के अनुसार, 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020' किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।
- साथ ही इसके माध्यम से कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और अनुबंध कृषि को विधिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत अन्य सुधारों के साथ अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है।

### अनुबंध कृषि:

- अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य एक ऐसा समझौता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच किसी विशेष फसल के उत्पादन, उसकी मात्रा, विपणन, उत्पाद का विक्रय मूल्य आदि से संबंधित प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि अनुबंध कृषि को समवर्ती सूची के तहत शामिल किया गया है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है।

### लाभ:

- कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि, बाज़ार तक पहुँच में सुधार, विपणन तथा परिवहन लागत में बचत और उपज गुणवत्ता में सुधार आदि।

### चुनौतियाँ:

- अनुबंध कृषि के बारे में यह अवधारणा है कि इसमें बड़े किसानों पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि छोटे किसानों के पास मोल-भाव की अधिक शक्ति न होने के कारण उनका शोषण होता है।
- इसके तहत किये गए समझौते प्राय: अनौपचारिक होते हैं और छोटे किसानों को कानूनों की अधिक समझ नहीं होती है , ऐसे में कई बार लिखित अनुबंध भी अदालतों से अधिक सुरक्षा नहीं प्रदान करते।
- फसलों की खरीद में देरी या भुगतान में विलंब, नई फसलों पर कीटों के हमले आदि से किसानों को नुकसान होता है, साथ ही इसमें महिलाओं की भागीदारी में कमी भी एक बड़ी समस्या है।

### विरोध का कारण:

- इन अधिनियमों के लागू होने के बाद किसानों द्वारा इनमें शामिल कई मुद्दों जैसे-न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख न होना, कृषि उपज विपणन समिति (APMC) के प्रभाव को सीमित करने के साथ अधिनियम में प्रस्तावित विवाद निस्तारण प्रणाली को लेकर भी प्रश्न उठे हैं।
- केंद्र सरकार के अनुसार, 'मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020' किसानों को विपणन में स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है।
- इस उद्देश्य के लिये यह अधिनियम किसी प्रायोजक (किसान के साथ कृषि समझौते में शामिल कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि) के साथ लेनदेन के दौरान किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है।
- किसानों की सुरक्षा के अन्य प्रावधानों के साथ यह भुगतान के लिये प्रायोजक के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है और प्रायोजक को लिखित समझौते के माध्यम से किसान की भूमि या परिसर के स्वामित्व को लेने या भूमि में कोई स्थायी बदलाव करने से रोकता है।
- हालाँकि किसानों के हितों की रक्षा के इन प्रावधानों की प्रभावशीलता इनको लागू करने के संस्थान की शक्ति तथा उसकी कार्यप्रणाली पर ही निर्भर करेगी और इस अधिनियम के तहत निर्धारित विवाद निस्तारण प्रणाली (सुलह एवं समझौते पर आधारित) अधिक प्रभावी नहीं प्रतीत होती है।

### विवाद निस्तारण प्रणाली:

- इस अधिनियम के तहत कृषि अनुबंध के संदर्भ में किसान और प्रायोजक के बीच किसी भी विवाद को एक सुलह बोर्ड (Conciliation Board)के माध्यम से हल करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके अंतर्गत कृषि समझौते में शामिल पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा एक सुलह बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्षों का निष्पक्ष और बराबर प्रतिनिधित्त्व होगा और किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष इस बोर्ड के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत हुआ कोई भी समझौता अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- यदि किसी समझौते में सुलह प्रक्रिया को नहीं शामिल किया गया है तो ऐसे मामलों में विवाद की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) को विवाद के समाधान हेतु सुलह बोर्ड का गठन करने का अधिकार होगा।

नोट :

### सुलह प्रणाली का लाभ:

- सुलह या समझौते के माध्यम से जटिल न्यायिक प्रक्रिया से बचते हुए धन और समय की बचत की जा सकती है।
- सुलह या समझौते की वैधता आपसी सहमति और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के अधिकारों में समानता के मूल्य पर आधारित होती है।
- सुलह प्रक्रिया में विवाद के समाधान के बाद दोनों पक्षों के बीच भविष्य में व्यावसायिक संबंधों को जारी रखा जा सकता है, जबकि न्यायिक फैसलों में इसकी संभावना बहुत कम होती है।

### विवाद निस्तारण प्रणाली में व्याप्त समस्याएँ:

- यह अधिनियम कृषि अनुबंध से जुड़े विवादों में सुलह या समझौते को ही समाधान के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।
- हालाँकि दोनों पक्षों के बीच शक्ति असंतुलन के कारण कई मामलों में इस प्रकार की सुलह प्रक्रिया के परिणाम दोनों पक्षों के लिये अपेक्षाकृत निष्पक्ष, तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण नहीं होंगे, जो इस सुलह को कमज़ोर पक्ष के लिये एक मजबूरी में बदल सकता है।
- इस विवाद समाधान प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष (जैसे-न्यायाधीश या मध्यस्थ) के अभाव में अधिक शक्ति वाला पक्ष सुलह प्रक्रिया और इसके परिणाम को नियंत्रित कर सकता है।
- साथ ही इस अधिनियम में SDM द्वारा गठित इस बोर्ड की संरचना के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है।

### शक्ति संतुलन की आवश्यकता:

- भारत में 86.2% किसान 47.3% कृषि क्षेत्र में औसतन 2 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि के साथ छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, कृषि से जुड़े लगभग 70% से अधिक परिवारों का खर्च उनकी आय से अधिक है और लगभग एक-चौथाई (1/4) किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
- ऐसे में इस अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सुलह प्रक्रिया में संभावित शक्ति असंतुलन के विरुद्ध सुरक्षा उपायों का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सुलह प्रक्रिया के रुकने और विवाद के न्यायालय में पहुँचने की स्थिति में कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि कमज़ोर पक्ष के पास इसके लिये आवश्यक संसाधन नहीं हों।

- ऐसी स्थिति में सुलह के दौरान कमज़ोर पक्ष को अपने हितों के विपरीत रखी गई शर्तों को मानने के लिये विवश होना पड़ सकता है।
- सुलह प्रक्रिया में शक्ति संतुलन की विषमताओं को दूर करने के लिये सुरक्षा उपायों का अभाव प्रायोजकों को बढ़त प्रदान करेगा।

### कानूनी प्रावधान:

- गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 'केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम ब्रजो नाथ गांगुली (Brojo Nath Ganguly)' मामले में स्पष्ट किया था कि न्यायालयों द्वारा किन्हीं दो पक्षों के बीच हुए ऐसे किसी भी अनुचित अनुबंध या अनुबंध के अनुचित प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों के पास मोल-भाव की बराबर शक्ति न हो तथा ऐसे अनुबंधों को न्यायालय द्वारा रद्द (मांग किये जाने पर) भी किया जा सकता है।
- हालाँकि अधिकांश ग्रामीण किसानों में अपने अधिकारों के प्रति विधिक साक्षरता का अभाव और बड़े संस्थानों के विरूद्ध अदालती कार्रवाई के लिये धन तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण उनके लिये यह विकल्प अपनाना आसान नहीं होगा।

### आगे की राह:

- सरकार द्वारा लागू किये गए अधिनियम के तहत किसानों के हितों की रक्षा हेतु बिना किसी विशेष प्रावधान या अनुबंध की शर्तों की जाँच के लिये किसी अधिनिर्णायक (Adjudicator) की अनुपस्थिति के कारण प्रायोजकों द्वारा किसानों के शोषण का भय बना रहेगा।
- किसी भी व्यावसायिक अनुबंध में सभी पक्षों को समान अधिकार दिये जाते हैं, हालाँकि वर्तमान समय में देश में कृषि क्षेत्र में ऐसे अनुबंधों को बढ़ावा देने के दौरान सरकार को किसानों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
- कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा बाज़ार तक उनकी पहुँच को मज़बूत करने के साथ किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है।

# भारतीय विद्युत क्षेत्र: चुनौतियाँ और समधान

## संदर्भ:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लगभग सभी क्षेत्रों में कई छोटे-बड़े सुधारों की आवश्यकता होगी। इनमें से एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत का भी है जिसमें पिछले कुछ समय से सुधारों के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और इसकी अनिश्चितता से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने में एक मज़बूत तथा प्रभावशाली विद्युत क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों (उद्योग, कृषि, सेवा आदि) को सुचारू रूप से कार्य करने के लिये विद्युत की निर्बाध आपूर्ति तथा इसकी लागत का वहनीय होना बहुत ही आवश्यक है। हाल के वर्षों में देश में विद्युत क्षेत्र (विशेषकर वितरण) की चुनौतियों काफी वृद्धि देखी गई है, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत क्षेत्र में बड़े बदलावों की आवश्कता होगी।

## विद्युत क्षेत्र की चुनौतियाँ:

- भारत में पिछले दो दशकों में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, इसके परिणाम स्वरूप देश में ऊर्जा उत्पादन के संकट को भी दूर कर लिया गया है।
- विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन में न होकर इसके वितरण से संबंधित है विद्युत के उत्पादन और वितरण के बीच यह असंतुलन इस क्षेत्र के लिये एक चुनौती बनकर उभरा है।
- विद्युत वितरण कंपनियाँ भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है तथा कई मौकों पर सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिये अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना पड़ा है जो इसका एक स्थायी और दूरगामी समाधान नहीं हो सकता।
  - गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 61,000 करोड़ रुपए के वार्षिक घाटे के साथ डिस्कॉम का कुल ऋण 3.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया था।

## विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे का कारण:

- विद्युत वितरण कंपनियों या डिस्कॉम (DISCOM) द्वारा राजस्व संग्रह में कमी, विद्युत उत्पादक कंपनियों से उच्च लागत पर बिजली की खरीद और विद्युत टैरिफ में अपर्याप्त वृद्धि डिस्कॉम के घाटे का सबसे बड़ा कारण है।
- साथ ही सरकारी विभागों द्वारा लंबे समय तक बिल का भुगतान न किया जाना भी डिस्कॉम के राजस्व घाटे को बढ़ाता है।
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी के आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 में विद्युत वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और वाणिज्य नुकसान [Aggregate Technical & Commercial (ATC) loss] 22% रहा।
  - इसके तहत तकनीकी कारणों से होने वाले क्षति, बिजली की चोरी, अपर्याप्त बिलिंग, भुगतान डिफॉल्ट, राजस्व संग्रह की अक्षमता आदि शामिल है।
- प्लांट लोड फैक्टर (Plant Load Factor): प्लांट लोड फैक्टर से आशय किसी दिये गए समय में एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा और उसकी कुल उत्पादन क्षमता के अनुपात से है। डिस्कॉम द्वारा वितरण की चुनौतियों के कारण विद्युत उत्पादन कंपनियों के उत्पादन सीमित करना पड़ता है जिससे उनके राजस्व में भी गिरावट होती है।
- भारत में आधी से अधिक (लगभग 53.4%) कोल आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से आती है ऐसे में अन्य देशों से आयात होने वाले कोयले की लागत में वृद्धि का प्रभाव विद्युत के मूल्य पर भी पड़ता है

## सुधार के प्रयास:

- सरकार द्वारा पिछले काफी समय से विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास किये गए है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में 'विद्युत अधिनियम, 2003' लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने के साथ, विद्युत् क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना था।
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण, लाइसेंस मुक्त उत्पादन और वितरण, मीटर की अनिवार्यता, विद्युत चोरी पर कठोर दंड का प्रावधान और डिस्कॉम के निजीकरण की बात कही गई थी।

नोट :

- सरकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत वितरण सुधार योजना के तहत विद्युत घाटे को 12% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही इसके तहत निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ टैरिफ से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने की बात कही गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2015 में उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम के वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने का प्रयास किया गया।
- मई, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 90,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी
- हालाँकि इन सुधारों के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र में वित्तीय चुनौती की समस्याएँ अभी भी बनी हुई है।

## विद्युत क्षेत्र में सुधारों की विफलता का कारण:

- विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया था, इसके तहत बड़े विद्युत उपभोक्ताओं (1000kW से अधिक की खपत) को ओपन एक्सेस के माध्यम से अपनी पसंद के आपूर्तिकर्त्ता से विद्युत् प्राप्त करने की छूट दी गई थी।
- हालाँकि इस योजना के लागू होने के लगभग 16 वर्षों बाद भी ओपन एक्सेस के तहत विद्युत् सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 1% से भी कम है, इसका प्रमुख कारण टैरिफ से जुड़ी बाधाएँ, आपूर्तिकर्ता बदलने के लिये अनुमति मिलने में देरी आदि हैं।
- सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान में विलंब या अपर्याप्त सब्सिडी का भुगतान वित्तीय चुनौती को बढ़ा देता है।
- COVID-19 महामारी के कारण औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने से विद्युत खपत में भारी गिरावट [मार्च (-8.7%), अप्रैल (-23.2%), मई (-14.9%) और जून (-10.9%)] देखने को मिली।
    - गौरतलब है कृषि सहित कुछ अन्य क्षेत्रों के लिये दी जाने वाली सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र (क्रॉस सब्सिडी के रूप में) से प्राप्त होता है।
- वर्ष 2003 के बाद से सरकार द्वारा किये गए कई प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान में देश में मात्र 10 उपभोक्ताओं को ही निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, इसमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
- वितरण कंपनियों को बिजली के मूल्य के निर्धारण की छूट नहीं है जिससे उनके घाटे में लगातार वृद्धि हुई है।
- सरकार के प्रयासों के बावजूद भी अधिकांश डिस्कॉम अपने 'आपूर्ति की औसत प्रति यूनिट लागत' (ACS) और 'औसत राजस्व की प्राप्ति' (ARR) के अंतर को कम करने में सफल नहीं रही हैं।

## समाधान:

- डिस्कॉम के हितों की रक्षा: नियामकों द्वारा विद्युत टैरिफ के निर्धारण के समय उपभोक्ताओं के साथ-साथ डिस्कॉम के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। विद्युत अधिनियम के तहत बिजली आपूर्ति के दौरान हुई क्षति की वसूली का प्रावधान किया गया है परंतु वास्तविकता में डिस्कॉम के लिये यह संभव नहीं हो पाता है। नियामकों को विद्युत शुल्क की एक अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए डिस्कॉम को टैरिफ के संदर्भ में आवश्यक छूट देने पर विचार करना चाहिये। अत्यधिक ATC नुकसान वाले राज्यों जैसे-मध्य प्रदेश (36%), उत्तर प्रदेश (33%) और बिहार (31%) आदि में इस समस्या को शीघ्र ही दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
- तकनीकी अक्षमता को दूर करना: तकनीकी अक्षमताओं के कारण होने वाले ऊर्जा क्षय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तारों और विद्युत आपूर्ति के उपकरणों में विद्युत आपूर्ति के दौरान प्रतिरोध के कारण थोड़ी-बहुत ऊर्जा का क्षय होना स्वाभाविक है परंतु पुराने और खराब तारों से यह समस्या अधिक बढ़ जाती है। सरकार द्वारा पुरानी हो रही वितरण प्रणाली के नवीनीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।
- सब्सिडी में सुधार: सरकार को सब्सिडी के भुगतान में अनावश्यक देरी के साथ सरकार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं (जैसे-किसान आदि) को विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।
- विद्युत चोरी: बिजली की चोरी भी डिस्कॉम के राजस्व में गिरावट का एक बड़ा कारण है। लोगों द्वारा मीटर से छेड़छाड़ या अधिकारियों को रिश्वत देने के प्रयास और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर वास्तविक विद्युत बिल के भुगतान से बचने का प्रयास किया जाता है। विद्युत चोरी के मामलों में कठोर कार्रवाई के साथ स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बना कर डिस्कॉम के घाटे को कम किया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को ऐसे अनैतिक माध्यमों को अपनाने से रोकने हेतु उन्हें जागरूक किया जाना चाहिये।
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा: सरकार को इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अनावश्यक कटौती करने पर विद्युत आपूर्ति कंपनियों पर जुर्माने लागू कर इस क्षेत्र में फैली अनियमितता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

- भारत में सक्रिय अधिकांश विद्युत वितरण कंपनियाँ एक बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं जिससे उनकी सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे में वितरण कंपनियों के कार्यक्षेत्र को सीमित किया जाना बहुत ही आवश्यक है जिससे उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और उनकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- विद्युत उत्पादक कंपनियों के घाटे को कम करने के लिये उन्हें सीधे निजी क्षेत्र को विद्युत विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये, साथ ही अधिशेष विद्युत की खपत के लिये सीमावर्ती देशों में विद्युत आपूर्ति के लिये अवसंरचना प्रणाली को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- वर्ष 1991 में डीलाइसेंसिंग और वर्ष 2003 के सुधारों के पश्चात विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बिना किसी बड़ी निजीकरण पहल के ही निजी कंपनियों (लगभग 47.1%) की भागीदारी के तहत देश में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढाने में सफलता प्राप्त हुई है, विद्युत वितरण के क्षेत्र में भी इसी प्रकार बदलाव लाकर इसकी चुनौतियों को कम किया जा सकता है।

## निष्कर्ष:

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिये ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। पिछले तीन दशकों में भारत ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु विद्युत वितरण कंपनियों को तकनीकी चुनौतियों के साथ बिजली की चोरी, अपर्याप्त बिलिंग, भुगतान डिफॉल्ट, राजस्व संग्रह की अक्षमता आदि के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा डिस्कॉम की समस्याओं को दूर करने के लिये किये गए प्रयासों के बावजूद भी कुछ राज्यों में इनकी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। डिस्कॉम कंपनियों की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने आदि के लिये केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

दृष्टि The Vision

# अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

## क्वाड समूह और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका

### संदर्भ:

बंगाल की खाड़ी में 3 नवंबर, 2020 से शुरू हो रहे मलाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के साथ क्वाड (QUAD) समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है। हालाँकि इस सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में आया है परंतु इस समूह में शामिल चारों देशों के बीच मज़बूत संस्थागत प्रतिबद्धताओं को देखकर यह स्पष्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के इस समूह के दृष्टिकोण को प्रभावित करने की संभावनाएँ लगभग शून्य ही हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल (डेमोक्रैट और रिपब्लिकन) विश्व के विभिन्न हिस्सों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये वर्तमान वैश्विक संरचनाओं में बदलाव पर सहमति रखते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा प्रश्न क्वाड के अस्तित्त्व की बजाय आने वाले समय में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गटबंधन की एक विस्तृत शृंखला स्थापित कर उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने में भारत की क्षमता के संदर्भ में है।

### पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता के बाद से ही भारत वैश्विक प्रणाली में बड़े बदलाए का समर्थक रहा है, परंतु लंबे समय तक भारत की अपेक्षाओं और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव में एक बड़ा अंतर रहा।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ आदर्शवादी नीति का समर्थक रहा परंतु शीत युद्ध ने शीघ्र ही इसे समाप्त कर दिया।
- वर्ष 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement-NAM) के नेता के रूप में भारत द्वारा 'नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' के विचार को अपनाया गया जिसके परिणाम बहुत ही सीमित रहे।
- शीत युद्ध के बाद भारत के दृष्टिकोण में एक बार पुन: बदलाव देखने को मिला, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था, भूमंडलीकरण के पक्ष में वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) का उदय हुआ।
- इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट हुई जिसके बाद भारत ने राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ आर्थिक सुधार और अपने आंतरिक मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को कम करने पर ध्यान देने को अधिक प्राथमिकता दी।
- हालाँकि उस समय विकास की गति में वृद्धि के लिये पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी था परंतु परमाणु कार्यक्रम और कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी विरोध के भय से भारत ने अमेरिका को नियंत्रित करने और एक बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य रूस तथा चीन का समर्थन किया, जिसके बाद ब्रिक्स (BRICS) समूह का गठन हुआ।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान जहाँ कश्मीर और परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के रुख में बदलाव देखने को मिला, वहीं ये दोनों मुद्दे भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का प्रमुख कारण बन गए।
- भारत को यह भी पता चल गया है कि चीन पर नियंत्रण करना ब्रिक्स समूह के लिये असंभव है। ऐसे में जैसे-जैसे भारत एक बहु-ध्रुवीय एशिया की स्थापना पर अपना ध्यान मज़बूत कर रहा है, वैसे ही एशिया में एक स्थिर शक्ति संतुलन स्थापित करने में क्वाड की भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

### क्वाड और मालाबार का संक्षिप्त परिचय:

- क्वाड समूह की शुरुआत दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत कार्यों के लिये गठित 'सुनामी कोर ग्रुप' से जोड़कर देखी जाती है, जिसमें इस समूह के चारों देशों ने मिलकर राहत कार्यों में योगदान दिया था।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

नोट :

- वर्ष 2012 में शिंज़ो आबे द्वारा हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' (Democratic Security Diamond) स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया।
- नवंबर 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये 'क्वाड' समूह की स्थापना की और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया।
- मालाबार: मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत-अमेरिका-जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
- मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।
- वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया।
- ऑस्ट्रेलिया के इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के बाद यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में क्वाड समूह की क्षमता में वृद्धि करेगा।

## वैश्विक राजनीति में हालिया बदलाव:

- हाल के वर्षों में वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति में मज़बूती के साथ आर्थिक वैश्वीकरण पर विश्व की बड़ी शक्तियों में मतभेद और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के साथ विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में चीन की आक्रामकता में वृद्धि और विश्व के विभिन्न हिस्सों में चीन द्वारा बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) तथा अपने सैन्य अड्डों की स्थापना के ज़रिये अपनी शक्ति में विस्तार के प्रयासों ने भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों के लिये एक नई चुनौती उत्पन्न की है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् स्थापित अमेरिकी नेतृत्त्व वाली वैश्विक व्यवस्था को कमज़ोर करने के प्रयासों में चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने वैश्विक संस्थानों में बड़े बदलाव पर सहमति व्यक्त की है
- इसी विचार के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में G-7 समूह का विस्तार करते हुए ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को इस समूह में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था।
- पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक 'क्लीन नेटवर्क' (Clean Network) की पहल पर विशेष ज़ोर दिया है, जिसके तहत दूर संचार प्रणाली, डिजिटल एप, समुद्री केबल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से अविश्वसनीय सेवाप्रदाताओं को बाहर करने की बात कही गई है।
- इसकी शुरुआत चीनी दूरसंचार कंपनी हुवेई (Huawei) जैसे आपूर्तिकर्त्ताओं पर कार्रवाई के साथ हुई परंतु वर्तमान में यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये एक व्यापक प्रयास के रूप में उभरा है

## बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और क्वाड की भूमिका:

- भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ा बाज़ार होने के साथ हाल के वर्षों में स्वास्थ्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है।
- अमेरिका क्वाड की संभावनाओं को रक्षा सहयोग से आगे भी देखता है, इसी माह 'फाइव आइज़' (Five Eyes) नामक सूचना गठबंधन में भारत को शामिल करने के प्रस्ताव को इसके एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
- हाल ही में अमेरिका के प्रस्ताव पर COVID-19 महामारी से निपटने हेतु समन्वित प्रयासों के लिये 'क्वाड प्लस (Quad Plus) संवाद' (ब्राज़ील, इज़रायल, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को शामिल करते हुए) की शुरुआत की गई।
- ब्रिटेन द्वारा भारत सहित विश्व के 10 लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करते हुए इन देशों के योगदान से एक सुरक्षित 5जी (5G) नेटवर्क का निर्माण करना है।
- भारत द्वारा चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मज़बूत आपूर्ति शृंखला को विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है।

नोट :

### भारत के लिये क्वाड का महत्त्व:

- भारत के अन्य सीमा विवादों (पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में) की अनिश्चितता के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है।
- वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में इस क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। इसका उपयोग भारत इस क्षेत्र की शांति के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिये कर सकेगा।
- पिछले कुछ वर्षों में हिंद-प्रशांत के संदर्भ में विश्व के अनेक देशों की सक्रियता बढ़ी है, ध्यातव्य है कि हाल ही में फ्राँस और जर्मनी आदि देशों ने अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति जारी की है।
- हिंद-प्रशांत के केंद्र में रहते हुए भारत इन प्रयासों के साथ मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और क्षेत्र के कमज़ोर देशों में अवसंरचना से जुड़ी साझा पहलों की शुरुआत कर वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है।

### चुनौतियाँ:

- स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव: क्वाड में शामिल सभी सदस्यों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व और इसकी सुरक्षा के प्रति विचारों में समानता होने के बावजूद इस साझेदारी में एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है।
- चीन का हस्तक्षेप: चीन द्वारा क्वाड समूह को दक्षिण एशिया के नाटो (NATO) के रूप में संबोधित किया जाता है, चीन का आरोप है कि यह समूह उसे घेरने के लिये स्थापित एक चतुष्पक्षीय सैन्य गठबंधन है जो क्षेत्र की स्थिरता के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
- इसके विपरीत हाल के वर्षों में क्षेत्र में चीन की आक्रामकता में वृद्धि के साथ उसने वर्ष 2016 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर एक 'चतुर्भुज सहयोग और समन्वय तंत्र' की स्थापना की है। साथ ही उसने इस वर्ष भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर एक अन्य साझेदारी की स्थापना की, जो इस क्षेत्र की शांति के लिये एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
- समन्वय: क्वाड देशों के बीच इस समूह के लक्ष्य को लेकर मतभेद दिखाई देता है, अमेरिका जहाँ चीन के खिलाफ खुलकर सामने आया है, वहीं भारत और जापान इस मामले में अधिक मुखर नहीं रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूर्व में चीन के दबाव में एक बार इस समूह को छोड़ चुका है।

### आगे की राह:

- क्वाड देशों को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के संदर्भ में समूह के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने तथा क्षेत्र के अन्य देशों के बीच इसकी भूमिका और लक्ष्यों के संदर्भ में चीन द्वारा स्थापित मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।
- हिंद- प्रशांत क्षेत्र में भारत की कई अन्य देशों के साथ मजबूत साझेदारी है, ऐसे में भारत द्वारा समान विचारधारा वाले अन्य देशों को इस समूह में शामिल करने की पहल की जानी चाहिये।
- स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय रक्षा नीति पूरी तरह थल शक्ति पर केंद्रित रही है, हालाँकि इसके बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला है, ऐसे में यह सही समय है कि भारत को अपनी नौसैनिक शक्ति के विस्तार पर विचार करना चाहिये।
- वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था में बदलाव के लिये उठी यह मांग रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं दिखाई देती, उदाहरण के लिये अमेरिका की 'बाय अमेरिकन' (Buy American) और भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' नीति इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही वैश्विक व्यापार के नियमों में भी बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी।
- पूर्व के विपरीत वर्तमान में भारत के पास संसाधन, राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक बढ़त का एक महत्त्वपूर्ण अवसर भी है, ऐसे में वैश्विक व्यवस्था में बदलाव के लिये उसे आगे बढ़कर सामने आना चाहिये।

---

## भारत की नीतियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का प्रभाव

### संदर्भ:

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का निर्णय वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ वैश्विक राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन को विजयी घोषित

किया गया है। इस चुनाव के परिणाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी नज़दीक रहे कई सहयोगी देशों जैसे- इज़राइल और सऊदी अरब के लिये थोड़ी निराशा का कारण बन सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में अमेरिका और इज़राइल के संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई तथा अमेरिकी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से इज़राइल और कुछ खाड़ी देशों के बीच संबंधों की बहाली ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। वहीं ईरान के प्रति ट्रंप की कठोर नीतियों ने सऊदी अरब को क्षेत्र के अपने सबसे बड़े शत्रु के खिलाफ एक मज़बूत बढ़त प्रदान की थी। अमेरिकी प्रशासन में आने वाले इस बदलाव से भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी प्रकार की गिरावट का कोई संकेत नहीं है परंतु ईरान तथा चीन जैसे कई अन्य महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका की नीति में बदलाव भारतीय हितों को प्रभावित कर सकता है।

### भारत-अमेरिका संबंध:

- 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव और दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ने के साथ-साथ भारत-अमेरिका संबधों में सुधार देखने को मिला।
- वर्ष 2009 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई, इस दौरान अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Supplier Group-NSG) का सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया।
- दोनों देशों के बीच कई महत्त्वपूर्ण समझौतों और सैन्य सहयोग में वृद्धि हुई [भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (वर्ष 2008), लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement), वर्ष 2016 आदि] तथा अमेरिका ने भारत को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य बनने में सहयोग के साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के संदर्भ में भारत की नीतियों का समर्थन किया।
- वर्ष 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत के बाद भी दोनों देशों के संबंधों में और अधिक व्यापकता देखने को मिली इस दौरान अमेरिका से सैन्य हथियारों तथा प्राकृतिक गैस के आयात में भारी वृद्धि हुई।
- इस दौरान क्वाड की भूमिका में हुआ सुधार भी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही हाल में दोनों देशों के बीच '2+2 वार्ता' के दौरान 'भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते' (BECA) पर हस्ताक्षर किये जाने से भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी।

### द्विपक्षीय व्यापार और निवेश :

- गौरतलब है कि इस दौरान दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि के कारण भारत का व्यापार अधिशेष 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2001-02) से बढ़कर 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्तीय वर्ष 2019-20) तक पहुँच गया (वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर )।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने अमेरिका से कुल 35.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का आयात किया जो भारत के कुल आयात का लगभग 7.5% है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा अमेरिका को किया कुल निर्यात 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जो भारत के कुल वार्षिक निर्यात का लगभग 17% है।
- इसके अतिरिक्त अमेरिकी सेवा क्षेत्र के कुल आयात में भारत की भागीदारी लगभग 5% है, वर्ष 2005 से वर्ष 2019 के बीच इसमें 14% की दर से वार्षिक वृद्धि देखी गई, वर्ष 2019 में अमेरिका द्वारा सेवा क्षेत्र में भारत से किया गया कुल आयात 29.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तक पहुँच गया।
- व्यापार के अलावा अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मामले में भारत के लिये निवेश का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है, अप्रैल 2000 से भारत में हुए कुल 476 बिलियन अमेरिकी डॉलर की FDI में अमेरिकी निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 6.5 % (30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रही।
- FDI के अतिरिक्त भारत के कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में एक-तिहाई हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों की रही है, सितंबर 2020 के आँकड़ों के अनुसार, देश में कुल 33.22 लाख करोड़ रुपए की FPI में अमेरिकी निवेश 11.21 करोड़ रुपए का रहा।

- बाइडन प्रशासन के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में बड़े सुधारों को अपनाए जाने का अनुमान है, अत: इन सुधारों के माध्यम से इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद आई गिरावट को दूर किया जा सकेगा।

### भारत-ईरान संबंधों पर प्रभाव:

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्ती के कारण भारत को ईरान से अलग होना पड़ा जिसके चलते भारत को ईरान से होने वाले कच्चे तेल के आयात को रोकना पड़ा जो ईरान द्वारा भारत को कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा था।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में भारत के सहयोग से चल रही रेल परियोजना को भी रोकना पड़ा।
- बाइडन प्रशासन के लिये स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण ईरान के संदर्भ में अमेरिकी नीति को शीघ्र बदलना या JCPOA को उसके पूर्व स्वरूप में लागू करना कठिन हो सकता है।
- परंतु इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिये बाइडन प्रशासन द्वारा ओमान या किसी अन्य मध्यस्थ के साथ ईरान से वार्ता और समझौतों को पुन: शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।
- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में कमी के बाद भारत आसानी से ईरानी कच्चे तेल का आयात कर सकेगा और ईरान को भारत से दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं का निर्यात करना भी संभव होगा।
- इसके साथ ही भारत ईरान में कच्चे तेल और अवसंरचना से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में निवेश करने में अधिक दबाव नहीं महसूस करेगा।

### क्वाड और चीन के प्रति अमेरिकी नीति का प्रभाव:

- भारत लंबे समय से क्वाड को एक सैन्य गठबंधन के रूप में प्रदर्शित करने से बचता रहा है, बल्कि भारत का उद्देश्य इसे क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने तक ही सीमित रखने से संबंधित रहा है।
- गौरतलब है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल किये जाने के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर व्यावसायिक दबावों के माध्यम से अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी।
- भारत के लिये जहाँ एक तरफ क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र (विशेषकर हिंद महासागर) में चीनी आक्रामकता को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है, वहीं यदि वर्तमान अमेरिकी सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप इसे दक्षिण चीन सागर में अधिक सक्रिय किया जाता है तो यह भारत और चीन के बीच गतिरोध को अनावश्यक रूप से बढ़ा सकता है।
- साथ ही यदि बाइडन प्रशासन के तहत चीन के प्रति अमेरिका सुलह का प्रयास करता है तो चीन की आक्रामकता से निपटने में भारत कमज़ोर पड़ सकता है।
- क्वाड से अलग होकर देखा जाए तो हाल के वर्षों में चीन की सैन्य शक्ति में हुई व्यापक वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों में अमेरिका सफल नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विभिन्न संधियों और वैश्विक मंचों (जैसे-पेरिस समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य सैन्य संधियों) से अमेरिका को अलग करने के निर्णय ने चीन को अनावश्यक बढ़त प्रदान की है।

### अन्य मुद्दे:

- ट्रंप प्रशासन के जिन फैसलों से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उनमें से अफगानिस्तान का मुद्दा सबसे प्रमुख है।
- अमेरिका द्वारा वर्तमान परिस्थिति में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुलाने से अफगानिस्तान में चरमपंथी समूहों की सक्रियता बढ़ने के साथ क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका समझौता बहुत आगे बढ़ चुका है और ट्रंप के अगले लगभग दो महीने के कार्यकाल के दौरान इस संदर्भ में लिये गए निर्णय क्षेत्र में दशकों से चल रहे शांति के प्रयासों की दिशा बदल सकते हैं, साथ ही जो बाइडन के लिये भी अफगानिस्तान मुद्दे पर कोई फैसला ले पाना बहुत ही कठिन होगा।
- हालाँकि इसके साथ ही भारत के कई आंतरिक मुद्दों जैसे-कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) आदि पर बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों की मुखरता भारत के लिये चिंता का विषय बन सकती है।

## व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता:

- हाल के वर्षों में अधिकांश मामलों में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में लगातार प्रगति हुई है, परंतु बदलते समय के साथ भारत को दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा हेतु एक व्यापक नीति का विकास करना होगा।
- भारत और अमेरिका के मज़बूत संबंधों के इतिहास को आधार बनाते हुए भारत को सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (GSP) और H1B वीज़ा जैसे क्षेत्रों में सुधार सहित जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में अमेरिका के साथ साझेदारी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

## आगे की राह:

- अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप जो बाइडन के वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई थी, इसी प्रकार बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की विदेश नीति में व्यापकता तथा निश्चितता आएगी जो दोनों देशों के संबंधों के लिये बहुत ही लाभदायक होगा।
- बाइडन द्वारा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जलवायु संकट, COVID-19 आदि जैसे वैश्विक साझा सहयोग के प्रयासों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व में इस बदलाव से इन समस्याओं से निपटने में शामिल भारत सहित विश्व के अन्य देशों के प्रयासों को बल मिलेगा।
- गौरतलब है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ अमेरिकी मुद्रा वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में स्पष्टता और स्थिरता से COVID-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से उबरने में सहयोग प्राप्त होगा।
- साथ ही साझा सहयोग की इस नीति से शीर्ष बहुपक्षीय मंचों (जैसे- संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन आदि) में अपेक्षित सुधारों को लागू करने मे सहायता मिलेगी।
- हालाँकि ईरान, चीन, अफगानिस्तान के साथ ऐसे ही बहुत से अन्य मामलों में अमेरिका की नीतियों का संबंध भारत के हितों की रक्षा से भी जुड़ा है, ऐसे में इन मुद्दों पर अमेरिका के नए प्रशासन की नीतियों में स्पष्टता के बाद भारत को मज़बूती के साथ अपना पक्ष सामने रखना होगा।

The Vision

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## डीप फेक और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ

### संदर्भ:

पिछले दो दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विस्तार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि क्षेत्रों के साथ हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव किये हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे नए प्रयोगों ने आधुनिकीकरण की गति में एक उत्प्रेरक का काम किया है, साथ ही इसकी वजह से समाज के हर वर्ग तक मूलभूत सुविधाओं की पहुँच को सुनिश्चित करना भी संभव हो सका है। हालाँकि किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में विकसित तकनीकों के अनियंत्रित प्रयोग के कारण इसके दुरुपयोग की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। दुष्प्रचार और अफवाहों की समस्या अब मात्र झुंझलाहट का एक कारण न होकर समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ाने के साथ कई मामलों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता सहित एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी कड़ी में 'डीप फेक' (Deep Fake) दुष्प्रचार और अफवाहों को तेज़ी से तथा एक वृहद् पैमाने पर फैलाने का नया विकल्प बनकर उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया क्षेत्र अपेक्षाकृत नया होने के कारण इस क्षेत्र के अपराधों की निगरानी करना तथा उन्हें नियंत्रित कर पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया है।

### डीप फेक (Deep Fake):

- डीप फेक, 'डीप लर्निंग' और 'फेक' का सम्मिश्रण है। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-AI) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल (फोटो, वीडियो या ऑडियो) की नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर इस सहजता के साथ स्थानांतरित किया जाता है कि यह पता करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत फोटो/वीडियो असली है या डीप फेक।
- डीप फेक का मामला सबसे पहले वर्ष 2017 में सामने आया जब सोशल मीडिया साइट 'रेडिट' (Reddit) पर 'डीप फेक' नाम के एक अकाउंट पर इसके एक उपयोगकर्त्ता द्वारा कई मशहूर हस्तियों की आपत्तिजनक डीप फेक तस्वीरें पोस्ट की गईं। इस घटना के बाद से डीप फेक के कई अन्य मामले भी सामने आए हैं।

### डीप फेक के दुष्प्रभाव:

- डीप फेक के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्थान, व्यवसाय और यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कई प्रकार से क्षति पहुँचाई जा सकती है।
- डीप फेक के माध्यम से मीडिया फाइल में व्यापक हस्तक्षेप (जैसे-चेहरे बदलना, लिप सिंकिंग या अन्य शारीरिक गतिविधि) किया जा सकता है और इससे जुड़े अधिकांश मामलों में लोगों की पूर्व अनुमति नहीं ली जाती, जो मनोवैज्ञानिक, सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और व्यावसायिक व्यवधान का खतरा उत्पन्न करता है।

### महिला सुरक्षा:

- डीप फेक का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पोर्नोग्राफी के मामलों में देखा गया है जो भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के साथ कुछ मामलों में व्यक्तिगत हिंसा को भी बढ़ावा देता है।
- डीप फेक पोर्नोग्राफी के अधिकांश मामलों में अपराधियों का लक्ष्य महिलाएँ ही रही हैं, ऐसे में डीप फेक पीड़ित व्यक्ति को धमकाने, डराने और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचाने हेतु प्रयोग किये जाने के साथ यह किसी महिला को यौन उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है।

### राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियाँ:

- डीप फेक जैसी तकनीकों के दुरुपयोग से राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- सत्ता में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों, भू-राजनीतिक आकांक्षा रखने वाले लोगों, हिंसक अतिवादियों या आर्थिक हितों से प्रेरित लोगों द्वारा डीप फेक के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं में हेर-फेर कर और गलत सूचनाओं के प्रसार से बड़े पैमाने पर अस्थिरता उत्पन्न की जा सकती है।
    - उदाहरण के लिये वर्ष 2019 में अफ्रीकी देश 'गैबॉन गणराज्य' (Gabon Republic) में राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट के एक प्रयास में डीप फेक के माध्यम से गलत सूचनाओं को फैलाया गया, इसी प्रकार 'मलेशिया' में भी कुछ लोगों द्वारा विरोधी राजनेताओं की छवि खराब करने के लिये डीप फेक का प्रयोग देखा गया।
- आतंकवादी या चरमपंथी समूहों द्वारा डीप फेक का प्रयोग राष्ट्र-विरोधी भावना फैलाने के लिये किया जा सकता है।

### लोकतंत्र के लिये खतरा:

- डीप फेक लोकतांत्रिक संवाद को बदलने और महत्त्वपूर्ण संस्थानों के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाने के साथ लोकतंत्र को कमज़ोर करने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।
- डीप फेक का प्रयोग चुनावों में जातिगत द्वेष, चुनाव परिणामों की अस्वीकार्यता या अन्य प्रकार की गलत सूचनाओं के लिये किया जा सकता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये बड़ी चुनौती बन सकता है।
- इसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय/दिन पहले विपक्षी दल या चुनावी प्रक्रिया के बारे में गलत सूचना फैलाई जा सकती है, जिसे समय रहते नियंत्रित करना और सभी लोगों तक सही सूचना पहुँचना बड़ी चुनौती होगी।
    - गौरतलब है कि ब्रिटेन के पिछले प्रधानमंत्री पद के चुनाव में लेबर पार्टी और कंज़रवेटिव पार्टी के उम्मीदवारों का एक डीप फेक वीडियो सामने आया जिसमें वे एक-दूसरे का समर्थन करते दिखाई दिये, इसी प्रकार भारत में भी 2019 के लोकसभा चुनावों में कुछ राजनेताओं के डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसे बाद में हटा दिया गया।
- डीप फेक तथ्यात्मक सापेक्षवाद (Factual Relativism) को बढ़ावा देता है तथा यह किसी अधिनायकवादी शासक को सत्ता में बने रहने, लोगों के दमन को सही ठहराने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने में सहायक हो सकता है।

### व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पहचान को क्षति:

- डीप फेक का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या संस्थान की पहचान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के लिये किया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में यदि पीड़ित व्यक्ति फेक मीडिया को हटाने या स्थिति को स्पष्ट करने में सफल रहता है तब भी इसके कारण हुई शुरुआती क्षति को कम नहीं किया जा सकेगा।
- डीप फेक का प्रयोग कई तरह के अपराधों जैसे- धन उगाही, निजी अथवा संवेदनशील जानकारी एकत्र करने या किसी अन्य हित को अनधिकृत तरीके से पूरा करने के लिये किया जा सकता है।
- एक अध्ययन के अनुसार, प्रतिवर्ष विभिन्न व्यवसायों के खिलाफ प्रसारित गलत सूचनाओं और फेक न्यूज़ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होती है।

### डीप फेक के मामलों में वृद्धि:

- हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व भर में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।
- जनवरी-जून 2020 के दौरान एशिया में डीप फेक के मामलों में पिछले 6 माह की तुलना में दोगुनी वृद्धि देखी गई।
- डीप फेक की पहचान करने वाली एक तकनीकी कंपनी डीप फेक लैब के आँकड़ों के अनुसार, जनवरी-जून 2020 के बीच एशिया में डीप फेक से बने वीडियो के लगभग 49,081 मामले देखने को मिले।
- डीप फेक लैब द्वारा जुलाई 2019 के बाद से चिह्नित डीप फेक वीडियोज़ में से 95% मामलों में फिल्म, खेल, फैशन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को लक्षित किया गया था।

### भारत पर प्रभाव:

- वर्तमान में डीप फेक के रूप में चिह्नित अधिकांश मामले (लगभग 61%) अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं, परंतु पिछले कुछ समय से दक्षिण कोरिया, जापान और भारत में भी ऐसे मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच में 45% की वृद्धि देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि मात्र 11% ही रही।
  - मई 2020 के एक अनुमान के अनुसार, भारत में मासिक रूप से सक्रिय कुल इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगभग 574 मिलियन बताई गई थी, दिसंबर 2020 तक यह आँकड़ा बढ़कर 639 मिलियन तक पहुँच जाने का अनुमान है।
- हालाँकि देश की एक बड़ी आबादी के बीच इंटरनेट और साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता का अभाव ऐसे लोगों को साइबर अपराधों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बनता है।
- साथ ही भारत में डेटा सुरक्षा के मामले में कानून का अभाव भी इस चुनौती को और अधिक बढ़ा देता है।

### कानूनी प्रावधान:

- देश में साइबर अपराधों के मामलों में वर्ष 2000 में पारित 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000' तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
- साइबर अपराधों से निपटने के लिये वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) की स्थापना की गई।
- साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिये 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है।
- नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिये दिसंबर 2019 में 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' (Personal Data Protection Bill, 2019) लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।

### समाधान:

- नीति निर्माण: डीप फेक मीडिया सामग्री के निर्माण और इसके वितरण की चुनौती से निपटने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों, नागरिक समाज, नीति निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों को चर्चा के माध्यम से इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की विनियमन नीति की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिये।
- तकनीकी का प्रयोग: डीप फेक मीडिया सामग्री की पहचान करने, इसे प्रमाणित करने और इसके आधिकारिक स्रोतों तक पहुँच को सुलभ बनाने के लिये आसानी से उपलब्ध तथा उपयोग किये जा सकने वाले तकनीकी आधारित समाधान के विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूसी बर्कले के शोधकर्त्ताओं ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर डीप फेक वीडियो की पहचान कर सकता है। 'डिटेक्टिंग डीप-फेक वीडियोज़ फ्रॉम फेनोम-विसेम मिसमैच' (Detecting Deep-Fake Videos from Phoneme-Viseme Mismatches) नामक शीर्षक से प्रकाशित एक शोध के अनुसार, यह प्रोग्राम किसी मीडिया फाइल में लोगों की आवाज़ और उनके मुँह के आकार में सूक्ष्म भिन्नताओं के माध्यम से 80% मामलों में डीप फेक वीडियो की पहचान करने में सफल रहा।
- साक्षरता और जागरूकता: उपभोक्ताओं और पत्रकारों के लिये मीडिया जागरूकता को बढ़ाना गलत सूचनाओं तथा डीप फेक जैसी चुनौतियों से निपटने का सबसे प्रभावी साधन/विकल्प है।
  - वर्तमान समय में मीडिया साक्षरता एक विवेकशील समाज के लिये बहुत ही आवश्यक है। एक मीडिया उपभोक्ता के रूप में हमारे पास उपलब्ध सूचना को पढ़ने, समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता अवश्य की होनी चाहिये।
  - मीडिया और इंटरनेट को बेहतर ढंग से समझने और इसके सुरक्षित प्रयोग को बढ़ावा देने का एक छोटा हस्तक्षेप भी इससे होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक हो सकता है।

नोट :

**निष्कर्ष:**

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के माध्यम से जहाँ संचार, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक असामनता को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई है, वहीं इसने डीप फेक और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई अन्य चुनौतियों को जन्म दिया है। डीप फेक और दुष्प्रचार जैसी चुनौतियों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। विधायी नियमों, प्लेटफॉर्म नीतियों, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में साझा प्रयास डीप फेक के खतरे को कम करने के लिये नैतिक एवं प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है।

दृष्टि The Vision

# पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

## अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और पेरिस समझौते का भविष्य

### संदर्भ:

4 नवंबर, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) इस दशक में जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से निपटने की सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल 'पेरिस समझौते' से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इस समझौते की आलोचना करते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक बताया तथा अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में आवश्यक बदलाव की मांग की है। हाल के वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों के बीच संरक्षणवादी विचारधारा की वृद्धि और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर उठते प्रश्नों के बीच अमेरिका जैसे बड़े देश के पेरिस समझौते से अलग होने पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा वैश्विक प्रयासों को भारी क्षति पहुँचेगी।

### पेरिस समझौता (Paris Agreement):

- पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये विश्व के सभी देशों को एक साथ लाने हेतु किया गया एक समझौता है।
- दिसंबर 2015 में विश्व के 195 देशों ने 'वैश्विक स्तर पर तापमान में हो रही औसत वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C तक सीमित रखने और इस वृद्धि को 1.5°C तक नियंत्रित करने के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- साथ ही इस समझौते में शामिल सभी सदस्यों ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution- NDC) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में इसे और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये समृद्ध और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है।
- इस समझौते के तहत विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये वर्ष 2020 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक की आर्थिक सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है।
- यह समझौता 4 नवंबर, 2016 को लागू हुआ तथा यह क्योटो प्रोटोकॉल (विस्तारित अवधि वर्ष 2020 तक) का स्थान लेगा।

### 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution- NDC):

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद-2 के तहत सभी सदस्य देशों को जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने हेतु अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के साथ अन्य प्रयासों के संदर्भ में अपना राष्ट्रीय योगदान निर्धारित करने, इसका पालन करने और निरंतर जानकारी साझा करने की बात कही गई है।
- NDC के तहत सभी देशों के योगदान के आधार पर ही पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकेगा।
- भारत द्वारा NDC के तहत वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33-35% तक घटाने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने तथा अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक (Carbon Sink) तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

### पेरिस समझौते से अलग होने की प्रक्रिया:

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद-28 के तहत इस समझौते से किसी सदस्य देश के अलग होने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
- इसके अनुसार, कोई भी सदस्य देश इस समझौते के लागू होने की तिथि (4 सितंबर, 2016) से तीन वर्ष बाद ही इससे अलग होने का नोटिस दे सकता है तथा नोटिस देने के एक वर्ष बाद ही संबंधित देश को इस समझौते से अलग माना जाएगा।

नोट :

### पेरिस समझौते का महत्त्व:

- पिछले कुछ दशकों में तकनीकी विकास और तीव्र औद्योगीकरण से वैश्विक तापमान की वृद्धि दर में तेज़ी से उछाल देखने को मिला है।
- वायुमंडल के तापमान में अनियंत्रित रूप से हो रही वृद्धि के कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- वायुमंडलीय तापमान में हो रही इस वृद्धि के कारण ध्रुवीय ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण कई तटवर्ती देशों/शहरों (जैसे-इंडोनेशिया में जकार्ता) के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
- वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएँ से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मनुष्यों, जीव-जंतुओं, फसलों और अन्य वनस्पतियों में अनेक प्रकार की बीमारियों के मामलों में वृद्धि हुई है।
- पेरिस समझौते के तहत न सिर्फ हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है बल्कि भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कार्बन शून्य बनाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।

### पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने का कारण:

- औद्योगिक क्षति: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया था और इसे आर्थिक रूप से क्षतिकारक बताते हुए यह भी दावा किया कि इस समझौते के कारण अमेरिका में वर्ष 2025 तक 25 लाख नौकरियाँ नष्ट हो सकती हैं।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश बन गया था, साथ ही अमेरिका का कोयला उद्योग भी रोज़गार का एक बड़ा स्रोत है। ऐसे में पेरिस समझौते की नीतियाँ अमेरिकी उद्योगों के हितों से सामंजस्य नहीं रखती।
- निष्पक्षता का अभाव: अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि यह समझौता भारत और चीन जैसे बड़े उत्सर्जक देशों को उत्सर्जन जारी रखने का फ्री पास प्रदान करता है।
- जलवायु परिवर्तन की अस्वीकार्यता: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर जलवायु परिवर्तन और इसके लिये मानवीय गतिविधियों के उत्तरदायी होने को अस्वीकार किया है। इसके साथ ही उनकी 'अमेरिका प्रथम' (America First) की नीति को भी इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
- गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग होने के संकेत दिये थे परंतु 4 नवंबर, 2019 को इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अमेरिका पेरिस समझौते से अलग होने वाला विश्व का पहला देश बन गया
- है।

### अमेरिका के अलग होने का पेरिस समझौते पर प्रभाव:

- वर्तमान में चीन (वैश्विक उत्सर्जन का 27%) के बाद अमेरिका (15%) विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है।
- ऐसे में यदि अमेरिका इस समझौते से अलग होकर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में अपनी भूमिका के अनुरूप कटौती नहीं करता है, तो इससे पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।
  - गौरतलब है कि इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन में वर्ष 2005 की तुलना में 26-28% तक की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी।
- पेरिस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के साथ अन्य देशों को समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग के लिये वित्तीय संसाधनों को जुटाने में अमेरिका की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी।
- इस समझौते से अमेरिका के अलग होने के निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र और इसके कुछ सदस्यों ने निराशा व्यक्त की है।
- इस समझौते से अलग होने के बावजूद अमेरिका एक पर्यवेक्षक के रूप में इसकी बैठकों में शामिल होकर अपने विचार रख सकेगा।

### अमेरिकी चुनावों का प्रभाव:

- अमेरिका के इस समझौते से अलग रहने का भविष्य अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों पर भी निर्भर करेगा।
- अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस चुनाव में विजयी होने का अर्थ होगा कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के वैश्विक साझा प्रयासों में अमेरिका का सहयोग नहीं मिल पाएगा।

- परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार 'जो बाइडन' (Joe Biden) ने इस चुनाव में जीतने की स्थिति में अमेरिका को पुन: इस समझौते में शामिल करने की बात कही है।
    - गौरतलब है कि अमेरिका वर्ष 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित) के कार्यकाल में इस समझौते में शामिल हुआ था।
- इसके साथ ही जो बाइडन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की एक योजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

### भारत पर प्रभाव:

- हाल के वर्षों में भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है।
- भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में बड़े सुधार देखने को मिले हैं, भारत रक्षा और तकनीकी के साथ ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका के लिये एक बड़ा बाज़ार (भारत अमेरिका से कच्चे तेल का आयात करने वाला तीसरा और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में चौथा सबसे बड़ा देश है) बनकर उभरा है।
- ऐसे में बाइडन प्रशासन के तहत अमेरिका द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से भारत को भी नवीन तकनीक को अपनाने और इस क्षेत्र में भारत में अमेरिकी निवेश का लाभ प्राप्त हो सकता है।

### अन्य चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों द्वारा निर्धारित NDCs इस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया था।
- साथ ही इस समझौते के तहत विकासशील देशों को सहयोग देने के लिये निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग बहुत ही कम है, या फंडिंग विश्व में सभी देशों द्वारा घोषित वार्षिक सैन्य बजट का 8% ही है।
- इस समझौते के तहत निर्धारित कई मुद्दों जैसे- कार्बन क्रेडिट, निवेश, समान उत्तरदायित्त्व, अनुच्छेद-6 के अंतर्गत 'समान समयसीमा' (Common Timeframe) की अनिवार्यता आदि को लेकर सदस्य देशों में सहमति नहीं बन पाई है।

### आगे की राह:

- पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये और इस समझौते के अन्य प्रावधानों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने हेतु नियमों को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- अमेरिका के इस समझौते के बाहर होने के बाद भी जलवायु संकट से निपटने हेतु विश्व के देशों को साथ लाने में यह समझौता एक महत्त्वपूर्ण मंच बना रहेगा और यदि अन्य सभी सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं तो इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
- COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली थी, ऐसे में सभी देशों को इस आपदा से सीख लेते हुए प्रदूषण को कम करने के नवीकरणीय विकल्पों में निवेश बढ़ाना चाहिये।
- हाल में चीन (वर्ष 2060 तक), स्वीडन (वर्ष 2045 तक), डेनमार्क और न्यूज़ीलैंड (वर्ष 2050 तक) आदि देशों द्वारा अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की प्रतिबद्धता की घोषणा इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

### निष्कर्ष:

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और वातावरण के तापमान में हो रही वृद्धि मानवीय सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पेरिस समझौता इस समस्या के कारकों की पहचान करने और उससे निपटने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, ऐसे में विश्व के सभी देशों को मिलकर इस चुनौती से निपटने में योगदान देना चाहिये।

# प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताएँ

## संदर्भ:

भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। प्रदूषण में होने वाली इस वृद्धि के कारण हर वर्ष लाखों लोग श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों के साथ मधुमेह और कैंसर के शिकार होते हैं। हाल के वर्षों में प्रदूषण में होने वाली वृद्धि के प्रति लोगों में जागरूकता बड़ी है और इससे निपटने के लिये सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा कई बड़े प्रयास भी किये गए है। हालाँकि इस मामले में अधिकांशत: लोगों का ध्यान पराली जलाने की चुनौती तक सीमित रहता है, जबकि यह संकट एक अत्यधिक जटिल, बहु-अनुशासनात्मक मुद्दा है जिसमें उद्योग, बिजली उत्पादन, निर्माण, पराली जलाना और परिवहन सहित कई बड़े कारक शामिल हैं। इस समस्या से निपटने के लिये भारत में कई बड़े नियम, कानून और विशिष्ट एजेंसियाँ सक्रिय हैं, जो सैधांतिक रूप से बहुत प्रभावशाली लगते हैं परंतु ये प्रदूषण की समस्या से निपटने में उतने सफल नहीं दिखाई देते। यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का परिणाम इसके लिये बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

### प्रदूषण की समस्या:

- हाल ही में 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' (HEI) द्वारा जारी 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर'- 2020 (SoGA- 2020) रिपोर्ट में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल को विश्व के उन शीर्ष 10 देशों की सूची में रखा गया है जहाँ की वायु में पार्टिकुलेट मैटर (PM) 2.5 की मात्रा सबसे अधिक पाई गई।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2019 में विश्व भर में PM 2.5 से जुड़े मृत्यु के कुल मामलों में 58% भारत और चीन से थे।
- लैंसेट पत्रिका के अनुसार, वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर में लगभग 4,76,000 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई, इसमें से लगभग 1,16,000 भारत से थे।
- साथ ही वायु प्रदूषण के कारण भारत में ओज़ोन के दुष्प्रभावों में भी वृद्धि हुई है।

### प्रदूषण से निपटने हेतु प्रमुख निकाय और प्रयास:

- प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये देश में वर्ष 1981 में 'वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981' को लागू किया गया।
- इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को देश में वायु गुणवत्ता में सुधार करने, वायु प्रदूषण को रोकने आदि कार्यों की ज़िम्मेदारी दी गई है।
- CPCB वायु प्रदूषण से निपटने के लिये 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों' (SPCBs) के साथ मिलकर कार्य करता है तथा उन्हें तकनीकी सहायता और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- वायु प्रदूषण सहित पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना की गई थी।
- वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme- NCAP) की शुरुआत की गई जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश में वायु प्रदूषण में 20-30% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये 28 अक्तूबर, 2020 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके तहत NCR और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये एक 18 सदस्यीय 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' [Commission for Air Quality Management- CAQM) गठित करने की बात कही गई।
  - इस आयोग में केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा पाँच राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), नीति आयोग, प्रदूषण विशेषज्ञ, संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

नोट :

## समस्याएँ:

- प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के अधिकारी और कर्मचारी सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालाँकि हाल के कुछ वर्षों में जब प्रदूषण नियंत्रण की अधिकांश चर्चाएँ कानूनों और वायु प्रदूषण के राजनीतिकरण पर केंद्रित रही हैं, ऐसे समय में प्रदूषण को कम करने के लिये असली लड़ाई लड़ रहे SPCBs को पर्याप्त संसाधन, आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल तथा उपयुक्त उपकरणों की कमी जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- दिल्ली स्थित CPCB के पास आवश्यक धन और अन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। हालाँकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जबकि उन्हें CPCB द्वारा बनाए नियमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है।

## राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की चुनौतियाँ:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रमुख चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

1. कर्मचारियों और संसाधनों की कमी: देश के अधिकांश राज्यों के 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों' में कर्मचारियों की भारी कमी देखी गई है। उदाहरण के लिये हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड में कर्मचारियों की कमी 70% तक पहुँच गई है, जिसका अर्थ है कि एक अधिकारी को किसी तकनीकी कर्मचारी के सहयोग के बिना ही पूरे एक ज़िले (कई मौकों पर दो ज़िले भी) में प्रदूषण नियंत्रण की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। राज्य में NGT के निर्देश पर बने विशेष पर्यावरण निगरानी कार्य बल के लिये सिर्फ एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसे कई अन्य कार्यों की ज़िम्मेदारी भी दी गई है। इसी प्रकार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पूरे राज्य के लिये केवल चार प्रयोगशालाएँ हैं।
2. विशेषज्ञता का अभाव: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति के बाद वैज्ञानिकों को किसी विशेष क्षेत्र (जैव चिकित्सा अपशिष्ट या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आदि) में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही उन्हें इसके लिये प्रोत्साहित किया जाता है और इसी आधार पर उनकी पदोन्नति होती है। जबकि SPCBs में एक ही अधिकारी को प्रदूषण की सभी श्रेणियों की ज़िम्मेदारी दे दी गई है, जिससे उनके लिये किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है।
   - इसी प्रकार कई मामलों में SPCBs में शीर्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों के पास प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को समझने के लिये पर्यावरण या विज्ञान से संबंधित विशेषज्ञता नहीं होती है। साथ ही ऐसे बोर्डों की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी कई बार अन्य विभागों में शामिल होते हैं, कुछ मामलों में दोनों विभाग एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं।
   - वर्ष 2008 की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 77% अध्यक्ष और 55% सदस्य सचिव अपने पदों पर कार्य करने के योग्य नहीं थे।
   - देश के आठ SPCBs में किये गए एक सर्वेक्षण में अधिकांश कर्मचारियों को प्रदूषण के कई महत्त्वपूर्ण मानकों के इतिहास और उनके उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
   - वर्ष 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर आदि ) में SPCBs में शीर्ष पदों पर राजनीतिक दलों के सदस्यों की नियुक्ति की गई थी।
3. विधिक कौशल का अभाव: अधिकांश SPCBs में प्रदूषण के आरोप में पकड़े गए लोगों या संस्थाओं पर मामले चलाने के लिये विधिक कौशल की भारी कमी देखी गई है। हालाँकि अधिकांश SPCBs के प्रधान कार्यालयों में एक कानूनी सेल होता है परंतु उनमें पूर्णकालिक सरकारी वकीलों की संख्या बहुत ही कम होती है।
4. वित्तीय चुनौतियाँ: देश के अधिकांश राज्यों में SPCBs के सामने व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन का अभाव एक बड़ी चुनौती बन गया है। उदाहरण के लिये हरियाणा के साथ ही देश के कई अन्य राज्यों में SPCBs की आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा बजटीय आवंटन की बजाय बोर्ड द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जारी किये जाने वाले 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' और 'संचालित करने की सहमति' के प्रमाणपत्र से प्राप्त शुल्क से आता है।
5. अतिरिक्त उत्तरदायित्व: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रदूषण का ऑनसाइट निरीक्षण करना है। आमतौर पर देखा गया है कि SPCBs के क्षेत्रीय कार्यालयों पर इस कार्य की ज़िम्मेदारी के अतिरिक्त कई अन्य उत्तरदायित्वों का भार डाल दिया जाता है जिनका प्रदूषण नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिये हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड के दायरे में पोल्ट्री फार्म भी हैं।

नोट :

- संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 में कर्नाटक और महाराष्ट्र के SPCBs प्रत्येक उद्योग का वर्ष भर में एक बार निरीक्षण करने में सफल नहीं रहे थे, इस दौरान प्रति उद्योग प्रतिवर्ष औसत निरीक्षण, महाराष्ट्र के लिये 0.3 बार और कर्नाटक के लिये यह 0.63 था। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले एक दशक में इस स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है।

6. समन्वय की कमी: राज्यों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण SPCBs की भूमिका मात्र एक सलाहकारी निकाय के रूप में रह जाती है, SPCBs द्वारा संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में आवश्यक सुधार हेतु जानकारी देने के बावजूद इनका पालन नहीं होता है।

## प्रभाव:

- SPCBs में विधि विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु दस्तावेज़ तैयार करना पड़ता है, विधिक मामलों की जानकारी के अभाव के कारण ऐसे मामले बहुत ही कमज़ोर हो जाते है या कई मामलों को दस्तावेज़ में व्याप्त कमियों के कारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, स्टाफ की कमी और अतिरिक्त कार्यों का दबाव निरीक्षण में देरी का प्रमुख कारण है।
- एक ही अधिकारी को कई विभाग देने, राजनितिक सदस्यों की नियुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव SPCBs की कार्यप्रणाली में बाहरी हस्तक्षेप की संभावनाओं को बढ़ाता है।
- SPCBs को वायु, जल प्रदूषण, औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होने वाले प्रदूषण के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी का दायित्व दिया गया है, ऐसे में इसमें अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों का अभाव इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाता है।
- वर्ष 2016 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों और बीमारियों की वजह से भारी आर्थिक क्षति होती है, वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2013 में श्रमिक आय के रूप में कुल 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई यदि इसमें देखभाल पर किये गए खर्च को जोड़ा जाए तो यह क्षति 5.11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुँच सकती है।

## आगे की राह:

- प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है।
- हाल में सरकार की कई योजनाओं से प्रदूषण को कम करने में कुछ सीमित सफलता (जैसे-CNG के प्रयोग से यातायात प्रदूषण और उज्ज्वला योजना से घरेलू प्रदूषण में कमी) देखने को मिली है परंतु वर्तमान संकट को दूर करने के लिये SPCBs की कार्यप्रणाली में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को शीघ्र दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
- सरकार द्वारा SPCBs की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के साथ उनमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावनाओं को कम करते हुए इसकी स्वायत्तता और संस्थागत पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

## निष्कर्ष:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न शहरों में प्रदूषण का बढ़ना, यहाँ रह रहे लोगों की जीवन-शैली, परिवहन, उद्योग, भौगोलिक स्थिति और कृषि से होने वाले प्रदूषण जैसे कई अनेक कारकों का एक जटिल मिश्रण है। प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष बीमारियों, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण आदि के रूप में भारी क्षति होती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिये हमारी दैनिक जीवन-शैली में बदलाव के साथ लक्षित योजनाओं का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन बहुत ही आवश्यक है। हालाँकि वर्तमान में वित्तीय चुनौतियों, अतिरिक्त कार्य का दबाव और अकुशल नेतृत्त्व वाले SPCBs के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा, ऐसे में SPCBs को सशक्त बनाने के लिये इनमें मानव संसाधन, विशेषज्ञ, आवश्यक तकनीकी उपकरणों आदि की कमियों को दूर किया जाना चाहिये।